[2019] 7 एस. सी. आर 655

बिरला निगम सीमित

वी.

विज्ञापन निवेश और होल्डिंग्स लिमिटेड

अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 875)

मई 09,2019

[आर. भानुमति और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 379 , 403 , 411 आर/डब्ल्यू। एस. 120 बी-दस्तावेजों की चोरी और गबन-एक कंपनी याचिका थी

कंपनी लॉ बोर्ड (सी. एल. बी.) के समक्ष दायर किया गया-उक्त कंपनी याचिका में, प्रतिवादी अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 दायर किए गए थे-कंपनी ने आरोप लगाया कि उत्तरदाताओं ने चोरी/चोरी की थी।

अपीलार्थी के परिसर से 1 से 54 तक के दस्तावेजों का दुरुपयोग-यह आरोप लगाया गया था कि दस्तावेज़ संख्या 2 से 28 की फोटोकॉपी की गई थी और फिर उन्हें परिसर में वापस रखा गया था-हालाँकि, दस्तावेज़ संख्या 29 से 54 को वापस नहीं किया गया था और वे उत्तरदाताओं के कब्जे में थे-इसके अनुसार, अपीलार्थी-कंपनी ने यू/एस. एस. के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की। 379 , 403 , 411 आर/डब्ल्यू। एस. 120 बी आई. पी. सी.-अपीलकर्ता कंपनी के कर्मचारी 'डी' और शिकायतकर्ता 'एस' (ए

कंपनी के प्रतिनिधि), ट्रायल कोर्ट ने सभी उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार पाए और दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदाताओं को समन जारी करने का भी आदेश दिया।

यू/एसएस। 380 , 411 और 120 बी आई. पी. सी.-पीड़ित, प्रत्यर्थियों ने यू/एस. याचिका दायर की। 482 Cr.P.C-उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मूल दस्तावेज संख्या 1 से 28 अभी भी शिकायतकर्ता की अभिरक्षा में थे, इस प्रकार शिकायत संख्या 1 से 28 के संबंध में जीवित नहीं रहेगी-हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा शिकायत की अनुमति दी गई थी, जहां तक दस्तावेजों संख्या 29 से 54 का संबंध था और मामला निचली अदालत को प्रेषित किया गया था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः शिकायतकर्ता 'एस' के बयान में आरोप अस्पष्ट थे और चोरी के लिए सामग्री विवरण का अभाव था-शिकायतकर्ता ने न तो किसी तथ्य को जिम्मेदार ठहराया है और न ही चोरी के लिए सामग्री विवरण-शिकायत में, उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट कथन नहीं थे कि वे अपीलकर्ता के कब्जे से दस्तावेजों को स्थानांतरित करने के लिए कैसे जिम्मेदार थे-इसके अलावा, कर्मचारी 'डी' का बयान केवल एक खुला बयान था जो उत्तरदाताओं ने प्राप्त किया था।

अपीलार्थी की अभिरक्षा से दस्तावेज-तत्काल मामले में,

मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अनुमानित आधार पर थी-न तो शिकायतकर्ता के बयान में और न ही 'डी' के बयान में अपराध करने के बारे में विवरण था।

वहाँ

कोई नहीं था।

मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने में दिमाग का अनुप्रयोग

प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपराध-इसके अलावा, समन जारी किया गया था

यह भी बहुत अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है-जहां तक दस्तावेजों संख्या 29 से 54 के प्रतिधारण के आरोपों का संबंध है, इस बारे में कोई आरोप नहीं है कि मूल कब और कैसे है।

अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है-सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी न्यायिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है। 136

संविधान का इस प्रकार, आपराधिक शिकायत दस्तावेजों से संबंधित है।

संख्या 29 से 54 को रद्द कर दिया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 202 – जाँच का दायरा

- आयोजित किया गयाः इस धारा के तहत जांच का दायरा अत्यधिक है।

केवल आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक ही सीमित

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, शिकायत में किया गया

जारी किया जाए या नहीं। 204 Cr.P.C. या क्या शिकायत को एस का सहारा लेकर खारिज कर दिया जाना चाहिए। 203 Cr.P.C. इस आधार पर कि वहाँ

बयानों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

के स्तर

पर

शिकायतकर्ता और उसके गवाह, यदि कोई हो,

शिकायत में लगाए गए आरोप या इसके समर्थन में साक्ष्य स्वयं को संतुष्ट करने के लिए शिकायत में अभिकथन कि पर्याप्त है

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-प्रक्रिया जारी करना

आयोजित किया गयाः समन किया जाना/आपराधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना

अभियुक्त एक गंभीर मामला है जो किसी की गरिमा और प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।

समाज में-पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी शिकायत पर दर्ज मामले में आरोपी को बुलाने के लिए इस तरह के गंभीर मामले का सहारा लेने में, इस तरह का दिमाग होना चाहिएः

क्या शिकायत में आरोप आवश्यक हैं अपराध के तत्व और क्या पर्याप्त आधार हैं

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए।

दंड संहिता, 1860-एस। 29 - दस्तावेज़-आयोजितः "दस्तावेज़"

जैसे एस में परिभाषित किया गया है। 29 आई. पी. सी. अर्थ में एक "चल संपत्ति" है।

एस. 22 आई. पी. सी. जो चोरी का विषय हो सकता है-सूचना बिरला निगम v.

एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लि.

दस्तावेजों में निहित दस्तावेज भी "भौतिक संपत्ति" के दायरे में आते हैं और चोरी का विषय हो सकते हैं। दंड संहिता, 1860-चोरी-लेने वाले का इरादा-आयोजितः इरादा अपराध का सार है-यह लेने वाले का इरादा है जो यह निर्धारित करता है कि क्या किसी चीज़ को लेना या स्थानांतरित करना चोरी है "बेईमानी से" लेने का इरादा तब होता है जब लेने वाला किसी अन्य को गलत नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता है जो चोरी के बराबर होता है-यह "चोरी" के अपराध का एक अनिवार्य घटक है कि चल संपत्ति को किसी भी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना "स्थानांतरित" किया जाना चाहिए था।

शब्द और वाक्यांश-'बेईमान इरादा', 'गलत लाभ' और 'गलत नुकसान'-पर चर्चा की गई। एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील की अनुमति देना। 2019 का D.Nos.6405 और 6122 और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील को खारिज करना।

2016 का No.9053, न्यायालय ने

क्या अपीलार्थी कंपनी के शेयरधारक आरोप लगा रहे हैं उत्पीड़न और कुप्रबंधन। मेसर्स बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट

(प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) भी कंपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक है। कंपनी याचिका के साथ, दस्तावेज़ संख्या 1-आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित प्रश्नगत दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 की प्रति दायर की गई थी और कंपनी याचिका की अग्रिम प्रति और दस्तावेज़ों की प्रति अपीलार्थी को दी गई थी। अपीलकर्ता-कंपनी ने यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की कि उत्तरदाताओं ने अनधिकृत पहुंच प्राप्त की है

और दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 तक का कब्जा। ' एस ', शिकायतकर्ता (कंपनी के एक प्रतिनिधि) ने केवल यह आरोप लगाया है कि वह

आशंका है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से दस्तावेज हासिल किए हैं। शिकायतकर्ता के बयान में आरोप अस्पष्ट हैं और चोरी के लिए सामग्री विवरण का अभाव है। शिकायतकर्ता ने चोरी के लिए न तो किसी तथ्य और न ही सामग्री विवरण को जिम्मेदार ठहराया है। [पारस 39,42 और 47] [69-एफ-जी; 680-जी; 683-बी-सी] [2019] 7 एस. सी. आर.

अन्य उत्तरदाताओं को जिम्मेदार ठहराया। केवल यह तथ्य कि उत्तरदाता No.10 और 11 भवन की सुरक्षा और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि उत्तरदाता No.10 और 11 चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। [पैरा 48] [683-डी-ई] 3. अपीलकर्ता कंपनी के एक कर्मचारी 'डी' के बयान में, केवल एक खुला बयान है कि उत्तरदाता No.13

15 ने कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष मामला दायर किया है कि दस्तावेज़ अत्यधिक गोपनीय हैं और उन्होंने अपीलार्थी की अभिरक्षा से चोरी किए गए दस्तावेज़ प्राप्त किए हैं। उत्तरदाताओं No.13 से 15 के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं।

इसी तरह, अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं जो अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं और उन्होंने दस्तावेजों की चोरी कैसे और कब की कि उन्होंने साजिश कैसे रची। समन जारी करने से पहले पक्षों के बीच लंबित विभिन्न मुकदमों पर विचार करते हुए, मजिस्ट्रेट को शिकायत और गवाहों के बयान पर विचार करना चाहिए था और खुद को संतुष्ट करना चाहिए था कि चोरी (घर की चोरी) और चोरी की संपत्ति की प्राप्ति के अपराध के तत्वों को दर्शाने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री हैं। [पैरा 54] [685-डी-एफ]

4. अपराध का संज्ञान लेने के लिए, मजिस्ट्रेट ने अन्य बातों के साथ-साथ शिकायतकर्ता और 'डी' के बयान पर भरोसा किया ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि प्रतिवादियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। न तो शिकायतकर्ता के बयान में और न ही 'डी' के बयान में मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने के लिए अपराध के होने के बारे में विवरण शामिल हैं कि अभियुक्तक विरुद्ध कार्यवाही करबाक लेल पर्याप्त आधार। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अवलोकन से, पूरी तरह से बी. आई. आर. एल. ए. निगम v है।

एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले उत्तरदाताओं सहित उत्तरदाता संख्या 1 से 16 के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने में दिमाग के उपयोग का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं। [पैरा 57] [686-एफ-एच]

एक-दूसरे की मिलीभगत से दस्तावेजों को चोरी करके प्राप्त किया होगा। विवरणों के अभाव में, केवल दस्तावेजों को अपने पास रखने या कंपनी याचिका या दीवानी मुकदमों में दस्तावेजों को पेश करने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए थे या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि प्रक्रिया जारी करने को उचित ठहराती थी। [पैरा 58] [687-डी-एफ]

6. धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच का उद्देश्य "यह तय करने के उद्देश्य से है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं"। धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच

इस तथ्य का पता लगाएं कि क्या शिकायत का कोई वैध आधार है जो शिकायत करने वाले व्यक्ति को प्रक्रिया जारी करने के लिए कहता है

या क्या यह आधारहीन है जिस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। कानून मजिस्ट्रेट पर एक गंभीर जिम्मेदारी अधिरोपित करता है

तय करें कि क्या इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है

अभियुक्त। प्रक्रिया जारी करना यांत्रिक नहीं होना चाहिए और न ही अभियुक्त को परेशान करने के साधन के रूप में बनाया जाना चाहिए। अभियुक्तों को पेश होने के लिए प्रक्रिया जारी करना

आपराधिक मामले में एक गंभीर मामला है और सामग्री की कमी है। सामग्री के बारे में विवरण और दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक है।

अनियमितता। वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों को प्रक्रिया जारी करने का आदेश देने में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और आरोपी को बुलाने के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कहा गया है कि धारा 202 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया था।

इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखा जा सकता है। [पैरा 61] [688-ई-एच]

अपीलार्थी कंपनी के संचालन के संबंध में। मान लीजिए, ये दस्तावेज़ कंपनी की याचिका में प्रस्तुत किए गए हैं। अपीलार्थी के शेयरधारकों द्वारा-प्रत्यर्थी द्वारा उत्पीड़न और कुप्रबंधन के अपने मामले को साबित करने और अपने अधिकारों के समर्थन के लिए कंपनी। हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दस्तावेजों को अस्थायी रूप से लेना और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों में उनका उपयोग करना।

यह चोरी नहीं होगी। [पैरा 70] [691-जी-एच; 692-ए] 8. एफ. आई. आर. या आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि आरोप प्रथम दृष्टया मामला या आरोप नहीं बनाते हैं।

ये इतने असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जहां तक दस्तावेजों संख्या 29 से 54 को बनाए रखने का आरोप है, इस बारे में कोई आरोप नहीं है कि मूल दस्तावेजों को कब और कैसे हटाया गया और उनके पास रखा गया। उत्तरदाताओं। जहां स्वीकृत तथ्यों पर अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई प्रथम-मामला मामला नहीं बनाया जाता है या जब सर्वोच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आपराधिक कार्यवाही अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी न्यायिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है। वर्तमान मामला दस्तावेजों No.29 से लेकर 54 तक की आपराधिक शिकायत को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है। [पैरा 88] [699-बी-डी]

9. निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हैः

क) मजिस्ट्रेट के आदेश से अपराध करने के लिए उत्तरदाता संख्या 1 से 16 के खिलाफ संज्ञान लिया गया था।

आई. पी. सी. की धारा 380,411 और 120 बी के तहत। शिकायत में न तो कोई अभिकथन है और न ही शिकायतकर्ता या गवाह 'डी' के बयान में कोई आरोप है कि चोरी कब और कैसे की गई थी और बी. आई. आर. एल. ए. निगम का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश v.

एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लि.

उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1 से 16 क्यू. ए. दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 को दरकिनार किया जाना चाहिए।

ख) आई. पी. सी. की धारा 29 में परिभाषित "दस्तावेज़" एक है

" आई. पी. सी. की धारा 22 के अर्थ के भीतर चल संपत्ति जो चोरी का विषय हो सकती है। दस्तावेजों में निहित जानकारी भी "भौतिक संपत्ति" के दायरे में आएगी और चोरी का विषय हो सकती है। दस्तावेजों में निहित जानकारी भी "भौतिक संपत्ति" के दायरे में आएगी और

चोरी का विषय बने। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उस हद तक संशोधित किया जाता है।

ग) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उपयोग करें

न्यायिक कार्यवाहियों में प्रत्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों संख्या 1 से 28 और दस्तावेजों No.29 से 54 का उनके मामले अर्थात् प्रशासन के "उत्पीड़न और कुप्रबंधन" की पुष्टि करना है। अपीलार्थी की-कंपनी और अन्य लंबित कार्यवाहियों में उनकी याचिका और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों में दस्तावेजों का ऐसा उपयोग चोरी नहीं होगी। उत्तरदाताओं को किसी भी "बेईमान इरादे" या "गलत लाभ" के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और अपीलार्थी को कोई "गलत नुकसान" नहीं है ताकि आई. पी. सी. की धारा 378 और 380 के तत्वों को आकर्षित किया जा सके।

घ) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों की संख्या पर विचार करते हुए, आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अपराधों का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट का आदेश और उत्तरदाता संख्या 1 से 16 तक को समन जारी करना और उस पर आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। [पैरा 89] [699-ई-एच; 700-ए-डी]

नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम। बरकारा अब्दुल अज़ीज़ और एक अन्य (2013) 2 एस. सी. सी. 488: [2012] 11 एससीआर 500; महमूद यूआई रहमान बनाम। खजीर मोहम्मद टुंडा और अन्य (2015) 12 एस. सी. सी. 420 [2015] 4 एस. सी. आर. 841; भूषण कुमार और एक अन्य बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और एक अन्य (2012) 5 एस. सी. सी. 424: [2012] 2 एससीआर 696; विजय धनुका और अन्य बनाम। नजीमा ममताज

और अन्य (2014) 14 एस. सी. सी. 638: [2014] 4 एससीआर 171; पेप्सी

फूड्स लिमिटेड और एक अन्य वी। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और

अन्य (1998) 5 एस. सी. सी. 749: [1997] 5 पूरक। एससीआर 12; पंजाब

राष्ट्रीय बैंक और अन्य बनाम। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा 1993 [2019] 7 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. सी. आर. 846; श्रीमती नागावा बनाम। वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी और अन्य (1976) 3 एससीसी 736: [1976] पूरक। एससीआर 123;

हरियाणा राज्य और अन्य बनाम। भजन लाल और अन्य 1992

मान लीजिए (1) एस. सी. सी. 335: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259; इंडियन ऑयल

कॉर्प. वी. एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 736:

[2006] 3 पूरक। एससीआर 704-पर निर्भर।

4 एससीसी 609: [2015] 1 एस. सी. आर. 377; चंद्र देव सिंह बनाम। प्रकाश चंद्र बोस उर्फ चाबी बोस और एक अन्य आकाशवाणी

1963 एससी 1430: [1964] एस. सी. आर. 639; के. एन. मेहरा बनाम स्टेट ऑफ

राजस्थान आकाशवाणी 1957 एससी 369: [1957] एससीआर 623; पूरन

माल वी। निरीक्षण निदेशक (जांच), नई दिल्ली और

अन्य (1974) 1 एससीसी 345: [1974] 2 एससीआर 704; माधवराव

जीवाजीराव सिंधिया और अन्य बनाम। संभाजीराव चंदरोजीराव

आंग्रे और अन्य (1988) 1 एस. सी. सी. 692: [1988] 2 एससीआर 930; अभिजीत पवार बनाम। हेमंत मधुखर निंबालकर और एक अन्य

(2017) 3 एससीसी 528: [2016] 9 एससीआर 475; जीएचसीएल कर्मचारी

स्टॉक विकल्प न्यास v. इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड (2013) 4 एससीसी

505 : [2013] 5 एससीआर 276; प्यारे लाल भार्गव बनाम। की स्थिति

राजस्थान एयर 1963 एससी 1094: [1963] पूरक। एससीआर 689 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 11 एससीआर 500

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2015] 4 एससीआर 841

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2012] 2 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

पै

रा 30

[2014] 4 एससीआर 171

उस पर भरोसा करें

पै

रा 33

[2016] 9 एससीआर 475

पै

रा 33

संदर्भित किया गया है

[1997] 5 पूरक। एससीआर 12

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2013] 5 एससीआर 276

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[1992] 2 एससीआर 528

उस पर भरोसा करें

पैरा 37 बिरला निगम v. एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लि.

[2015] 1 एससीआर 377

संदर्भित किया गया है

पै

रा 49

[1964] एस. सी. आर. 239

पै

रा 56

संदर्भित किया गया है

[1963] पूरक। एससीआर 689

संदर्भित किया गया है

पै

रा 64

[1957] एससीआर 623

संदर्भित किया गया है

पै

रा 67

[1974] 2 एससीआर 704

संदर्भित किया गया है

पै

रा 76

[1976] पूरक। एससीआर 123

उस पर भरोसा करें

पै

रा 83

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

उस पर भरोसा करें

पै

रा 84

[2006] 3 पूरक। एससीआर 704

उस पर भरोसा करें

पै

रा 86

[1988] 2 एससीआर 930

पै

रा 87

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2019 का सं. 875।

उच्च न्यायालय के 15.05.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के सी. आर. आर. सं. 323 में कलकत्ता में।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 876 , 877 2019 से।

सी. ए. सुंदरम, अरविंद पी. दातार, मुकुल रोहतगी, अमित देसाई,

सुश्री नम्रता विनोद, एस. गोपालकृष्णन, अपूर्व खातोर, मिथुन शशांक, करण गुप्ता, वसंत बी., अमित अग्रवाल, पी. सी. शर्मा, सुश्री वृंदा भंडारी, हिमांशु गुप्ता, अक्षय सहगल, टी. आर. बी. शिवकुमार, कुणाल चटर्जी, महेश अग्रवाल, अजय भार्गव, श्रीमती शाली भसीन, वैभव नीति, सुश्री सायरी बसु मलिक, सुश्री माधवी अग्रवाल, सुश्री सुरभी लिमये, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, ऋषि राज शर्मा, सुश्री सौम्या जॉयकरन सिंह, चैतन्य सफाया, सौम्या रे चौधरी। सुश्री संगीता मंडल, सुश्री स्वाति सिन्हा, संजीव कुमार त्रिवेदी, सविंदर सिंह, धनंजय सूद, सुश्री अंकिता शर्मा (मेसर्स के लिए)। फॉक्स मंडल और

), अमित अग्रवाल, पी. सी. शर्मा, टी. आर. बी. शिवकुमार, सायंतन तालपात्रा, सैफुद्दीन एस., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आर. भानुमति, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपीलें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2011 के सी. आर. आर. <आई. डी. 1 में पारित दिनांक 15.05.2015 के फैसले से उत्पन्न होती हैं और जिसके द्वारा

देवी बिड़ला (पी. डी. बी.) और उनके पति माधव प्रसाद बिड़ला (एम. पी. बी.) कई निगमित संस्थाओं के नियंत्रण और प्रबंधन में थे जिन्हें सामूहिक रूप से एम. पी. बिड़ला उद्योग समूह के रूप में जाना जाता है। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में धर्मार्थ गतिविधियों के लिए कई न्यास बनाए हैं। पी. डी. बी. की मृत्यु 03.07.2004 पर हुई थी और एम. पी. बी. ने उससे पहले ही उसकी मृत्यु कर दी थी। राजेंद्र सिंह लोढ़ा और प्रतिवादी के पक्ष में प्रियंवदा देवी बिड़ला (पी. डी. बी.) द्वारा कथित रूप से निष्पादित एक वसीयत की वैधता पर विवाद चल रहा है। नं. 17-उक्त राजेंद्र सिंह लोढ़ा का पुत्र। आई. डी. 2 पर, प्रत्यर्थी आई. डी. 1 के पिता राजेंद्र सिंह लोढ़ा द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष कथित वसीयत की जांच के लिए एक याचिका दायर की गई थी। प्रोबेट याचिका को अनुदान के लिए एक वसीयती मुकदमे में बदल दिया गया है

प्रशासन के पत्र। कृष्ण कुमार बिड़ला (के. के. बी.), बसंत कुमार बिड़ला (बी. के. बी.), गंगा प्रसाद बिड़ला (जी. पी. बी.) और यशोवर्धन बिड़ला (वाई. बी.) ने उक्त वसीयत दिनांक 1 के प्रोबेट के अनुदान का विरोध करने के लिए कैविएट दायर किए हैं। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि गंगा प्रसाद बिड़ला (जी. पी. बी.) का बी. आई. आर. एल. ए. निगम v है।

6. 24.03.2010 पर, उत्तरदाताओं No.12 से 16 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में पाँच दीवानी मुकदमे दायर किए हैं (सी. एस. सं. 73-77 / 2010) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत कहा गया है कि वर्ष 1988 में, एम. पी. बी. और पी. डी. बी. ने इन न्यासों द्वारा कवर की गई संपत्ति को दान के लिए छोड़ने के लिए पांच पारस्परिक और पारस्परिक न्यास बनाए थे। कहा जाता है कि इन न्यासों को कथित वसीयत दिनांक 18.04.1999 से सिर्फ तीन दिन पहले रद्द कर दिया गया था। सी. एस. No.73-77/2010 में कथित मुकदमों में, उत्तरदाताओं No.12 से 16 ने पाँच न्यासों के निरसन को चुनौती दी है और उनकी वसूली के लिए प्रार्थना की है। सार्वजनिक दान की संपत्तियाँ और उक्त पाँच न्यासों में निहित संपत्तियों के सार्वजनिक न्यास दायित्वों को लागू करने के लिए।

7. सी. पी. नं. 1,2010 में कंपनी की याचिका सी. एल. बी. के समक्ष दायर की गई थी।

(अब एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित) 10.03.2010 पर। उक्त कंपनी याचिका में दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 दायर किए गए हैं। कंपनी की अग्रिम प्रति

याचिका और दस्तावेजों की प्रतियां अपीलार्थी-कंपनी को दे दी गई हैं। दस्तावेज़ संख्या 1-आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

एम. पी. बी. और पी. डी. बी. द्वारा बनाए गए पाँच न्यासों के निरसन को चुनौती देते हुए प्रत्यर्थियों द्वारा 16 को दायर दीवानी मुकदमों में अपीलकर्ता कंपनी दायर की गई थी। 1 से 54 तक के सभी दस्तावेजों की चोरी और गबन का आरोप लगाते हुए, अपीलकर्ता कंपनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120 बी के साथ पठित धारा 379,403,411 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की और उक्त शिकायत में, अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री समीर [2019] 7 एस. सी. आर. ने किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. आइए हम दलों की सरणी को समझें। उत्तरदाता संख्या 1 से 5 में से प्रत्येक अपीलार्थी-कंपनी के शेयरधारक हैं। प्रत्यर्थी संख्या 6-प्रदीप कुमार खेतान एक प्रतिष्ठित वकील और बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। प्रत्यर्थी संख्या 7-अक्षय पोद्दार प्रत्यर्थी संख्या 1-एडवेंटज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक हैं। प्रत्यर्थी संख्या 8-संतोष कुमार पोद्दार प्रत्यर्थी संख्या 3-ब्रिटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के निदेशक हैं। प्रत्यर्थी संख्या 9-बाल किशन तोशनीवाल प्रत्यर्थी संख्या 2-गोविंद प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। प्रत्यर्थी संख्या 10-बिड़ला बिल्डिंग्स लिमिटेड बिड़ला भवनों के समग्र रखरखाव और रखरखाव का प्रभारी है जहाँ अपीलार्थी कम्पनी अवस्थित अछि। उत्तरदाता No.11-S. चक्रवर्ती प्रतिवादी No.10 के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उत्तरदाता No.12 से लेकर 16 वे हैं जिन्होंने ट्रस्टों के निरसन और सार्वजनिक दान की संपत्तियों की वसूली को चुनौती देते हुए कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 92 सी. पी. सी. के तहत सी. एस. No.73-77/2010 का मुकदमा दायर किया है। प्रतिवादी No.17-हर्षवर्धन लोढ़ा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह लोढ़ा के पुत्र हैं।

और अब अपीलार्थी के निदेशक-सह-अध्यक्ष-कंपनी के खिलाफ

जिसे 2010 का सी. पी. नं. 1 दाखिल किया गया है।

9. शिकायत में आरोप संक्षेप में इस प्रकार हैंः

शिकायत में पचास-चार दस्तावेजों की सूची है जिसका संक्षिप्त विवरण शिकायत की अनुसूची में दिया गया है। दस्तावेज़ संख्या 1 नवंबर, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपीलकर्ता कंपनी की चंदेरिया इकाई की एक आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट है। अपीलार्थी शिकायतकर्ता के अनुसार, रिपोर्ट की गोपनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, केवल छह प्रतियां बनाई गईं। जिनमें से पांच सेट व्यक्तिगत रूप से नामित कंपनी के अधिकारियों को भेजे गए थे और एक को लेखा परीक्षक द्वारा बनाए रखा गया था। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति है

मूल पाँच सेटों में से एक जिसे एक बच्च राज नाहर बिरला कॉर्पोरेशन v को भेजा गया था।

एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

कंपनी के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 16 ने अपीलार्थी के परिसर से संख्या 2 से 28 तक के दस्तावेजों की चोरी/दुरुपयोग किया है और दस्तावेजों की फोटोकॉपी करने के बाद, उन्हें अपीलार्थी के परिसर में वापस रखा गया था। यह आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज़ No.29 से 54 चोरी हो गए हैं /

अपीलार्थी के परिसर से दुरुपयोग किया गया और दस्तावेजों की फोटोकॉपी करने के बाद, उन्हें अपीलार्थी के परिसर में वापस नहीं किया गया और मूल अभी भी उत्तरदाताओं के कब्जे में हैं। शिकायत करने से पहले, शिकायतकर्ता-अपीलार्थी ने यह पता लगाने के लिए एक आंतरिक जांच की थी कि ये दस्तावेज उत्तरदाताओं तक कैसे पहुंचे।

10. इन दस्तावेजों को हर समय पंजीकृत कार्यालय में रखा गया है।

अपीलार्थी का कार्यालय-बिड़ला भवन। इन दस्तावेजों की सीमित पहुंच है और ये केवल नामित और निर्दिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं। इन दस्तावेजों में कंपनी के संचालन के संबंध में अंतर-कंपनी पत्राचार, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, समझौते आदि शामिल हैं। अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का आरोप है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 9 और 12 से 16 ने आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य तक पहुंच प्राप्त की प्रतिवादी No.10 बिड़ला बिल्डिंग्स लिमिटेड और प्रतिवादी No.11-S की सहायता से अनधिकृत और अवैध रूप से दस्तावेज। चक्रवर्ती, सी. ई. ओ. जो उस भवन के रखरखाव के प्रभारी हैं जिसमें अपीलार्थी शिकायतकर्ता का कार्यालय स्थित है।

11. अपीलार्थी ने आगे कहा कि दिनांकित 29.03.2010 पत्र द्वारा, कंपनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधिवक्ता से मुलाकात की

उत्तरदाता संख्या 1 से 6 तक यह खुलासा करें कि उन्होंने शिकायत की अनुसूची में उल्लिखित दस्तावेज कैसे प्राप्त किए। उत्तरदाताओं ने दिनांकित 30.03.2010 पर जवाब भेजा और उक्त प्रश्न का कोई जवाब देने से बच गए।

इस आधार पर कि ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए कंपनी विधि बोर्ड (सी. एल. बी.) की कोई प्रक्रिया नहीं थी। अपीलार्थी-कंपनी ने उत्तरदाताओं को 16 को एक पत्र भेजा जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि वे दस्तावेज़ों के कब्जे में कैसे आए; लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उत्तरदाता संख्या 1 से 6 तक द्वारा दायर प्रत्युत्तर में, वे फिर से विफल रहे और/या यह बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने इन दस्तावेजों को कैसे प्राप्त किया।

12. अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी कंपनी की सहमति के बिना, प्रतिवादियों/अभियुक्तों ने बेईमानी से चोरी/चोरी की है।

दस्तावेजों का दुरुपयोग किया और इस तरह चोरी और चोरी करने की साजिश रची। यह भी माना जाता है कि उत्तरदाताओं/अभियुक्तों ने बेईमानी से चोरी की गई संपत्ति प्राप्त की या उसे अपने पास रखा और उनके पास [2019] 7 एस. सी. आर. था।

यह मानने का कारण कि यह चोरी की गई संपत्ति है और इस तरह आई. पी. सी. की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध किया है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादियों/अभियुक्तों ने इस प्रकार अपीलकर्ता कंपनी से संबंधित दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 की बेईमानी से चोरी की और उन्हें अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करके उनका दुरुपयोग किया और इस प्रकार आई. पी. सी. की धारा 379,403 और आई. पी. सी. की धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध किए।

13. शिकायतकर्ता श्री समीर गांगुली की जाँच 06.10.2010 पर की गई। चूँकि कुछ अभियुक्त व्यक्ति स्थानीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के निवासी हैं

अदालत की निचली अदालत/मजिस्ट्रेट ने मामले को धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच के लिए 08.10.2010 पर निर्धारित किया। अपीलकर्ता कंपनी के पी. बी. दिनेश नाम के एक कर्मचारी से 08.10.2010 पर पूछताछ की गई।

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोलह अभियुक्तों के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया और उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रक्रियात्मक पहलू पर, मजिस्ट्रेट ने कोई गलती नहीं की। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि 1 से 28 तक के दस्तावेजों के मूल अभी भी अभिरक्षा में हैं

शिकायतकर्ता, ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी को लेना "चल संपत्ति" और अस्थायी नहीं माना जा सकता है।

दस्तावेजों को हटाना अपने आप में चोरी या संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग के साथ-साथ चोरी की गई संपत्ति के बेईमान प्राप्त करने के अपराध का विषय नहीं हो सकता है। उन निष्कर्षों पर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 के संबंध में शिकायत कायम नहीं रहेगी। जहां तक 54 तक के दस्तावेजों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि उन दस्तावेजों के मूल गायब हैं, इसलिए शिकायत अपराध बी. आई. आर. एल. ए. निगम v के तत्वों का खुलासा करती है।

चोरी की। उच्च न्यायालय ने कहा कि जहां तक 54 तक के दस्तावेजों का संबंध है, शिकायतकर्ता उत्तरदाताओं के खिलाफ आगे बढ़ सकता है और तदनुसार मामले को निचली अदालत में भेज दिया जाता है।

15. अपीलार्थी की ओर से, श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी ने रखे गए प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया

16. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जब मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया है, तो उच्च न्यायालय ने अदालत को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित समन आदेश के लिए अपने विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था जो दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 तक है। उनके समर्पण के समर्थन में, श्रीमती पर निर्भरता रखी गई थी। नागावा बनाम। वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी और अन्य (1976) 3 एससीसी 736 और संख्या

अन्य निर्णय। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय 1 से 28 तक के दस्तावेजों के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द करने में सही नहीं था। 17. प्रत्यर्थियों द्वारा दायर अपील में, उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थियों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के आदेश पर हमला किया

यह तर्क देते हुए कि मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी कि प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार थे। प्रस्तुत किया गया था कि उत्पादन

कंपनी विधि याचिका और दीवानी मुकदमों में दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या चोरी नहीं होगी और शिकायत में किए गए कथन और शिकायतकर्ता और गवाह पी. बी. दिनेश के बयान चोरी के तत्वों को आकर्षित नहीं करेंगे और इसमें कोई समझदारी नहीं होगी [2019] 7 एस. सी. आर.

विद्वान मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से जारी की गई प्रक्रिया

प्रत्यर्थियों और उच्च न्यायालय के खिलाफ कार्यवाही को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए था।

18. उत्तरदाता संख्या 1 से 5 की ओर से, श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि शिकायत में विनिर्देशन का अभाव है

अपराध करने का समय और तरीका और दस्तावेज़ों की चोरी किसने की और कब और कैसे इसका पता चला। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि शिकायत में दिए गए दावे चोरी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने रखी गई सामग्री अपर्याप्त थी और पर्याप्त नहीं थी

उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मामला, जो कभी भी चोरी नहीं हो सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि जब कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष कार्यवाही में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं उनके अधिकारों या बचाव की पुष्टि करते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत एक "कानूनी पेंच" के अलावा और कुछ नहीं है और उच्च न्यायालय ने 1 से 28 के दस्तावेजों के तहत आपराधिक कार्यवाही को सही ढंग से रद्द कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि मजिस्ट्रेट द्वारा न तो दिमाग का आवेदन किया गया था और न ही इसका खुलासा करते हुए कोई तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया है

मन की संतुष्टि के लिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरी कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

19. प्रतिवादी No.10 और श्री अमित देसाई, विद्वान वरिष्ठ वकील की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी

प्रत्यर्थी No.11 की ओर से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी No.10 के पास उस "भवन" के प्रबंधन और रखरखाव की समग्र जिम्मेदारी है जिसमें अपीलार्थी का कार्यालय स्थित है और शिकायत में कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं कि कैसे प्रत्यर्थी No.10 और 11 की इन दस्तावेजों तक पहुंच थी जो शिकायतकर्ता के नामित कर्मचारियों की अभिरक्षा में थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि

उत्तरदाताओं No.10 और 11 द्वारा अपराध को साबित करने के लिए शिकायत में आरोपों की अनुपस्थिति, केवल यह तथ्य कि उत्तरदाता No.10 और 11 स्वयं भवन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि उत्तरदाता No.10 और 11 चोरी के लिए जिम्मेदार हैं।

20. प्रत्यर्थी No.11 की ओर से, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी No.11 प्रत्यर्थी No.10 का सीईओ है

कंपनी और बिड़ला भवन में कंपनी के मामलों का समग्र प्रशासनिक प्रभारी है और उसके खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में, प्रतिवादी No.11 की केवल आधिकारिक स्थिति उसे स्वचालित रूप से आपराधिक अभियोजन के लिए असुरक्षित नहीं बनाएगी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रत्यावर्ती दायित्व का सिद्धांत एक कानूनी धारणा पर आधारित है और काल्पनिक दायित्व पैदा करता है और क्योंकि

आई. पी. सी. के तहत अपराधों के संबंध में प्रत्यावर्ती दायित्व (कानून के मामले के रूप में) उपलब्ध नहीं है, शिकायतकर्ता किसी आपराधिक मामले में प्रतिवादी No.11 के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए किसी अधिनियम या अपराध के कानूनी अनुमान पर भरोसा नहीं कर सकता है।

मामला।

21. 16 तक उत्तरदाताओं की ओर से, श्री रंजीत कुमार और श्री देबल बनर्जी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया था और शिकायत में कथन और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं और मजिस्ट्रेट ने यांत्रिक रूप से उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की।

उत्तरदाता No.12 से 16 तक। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक कार्यवाही में दस्तावेज़ दाखिल करने को कभी भी "चोरी" या "बेईमान दुरुपयोग" का कार्य नहीं कहा जा सकता है ताकि धारा 380 के तत्वों को आकर्षित किया जा सके और

22. अन्य प्रत्यर्थियों के तर्क को दोहराते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 6 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 6 एक प्रतिष्ठित वकील हैं और बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट का ट्रस्टी जो अपीलकर्ता कंपनी का एक शेयरधारक है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में, उन्हें नहीं बनाया जा सकता है

अप्रत्यक्ष रूप से केवल इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि वह बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट में ट्रस्टी का पद संभाल रहा है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायत का उद्देश्य उत्तरदाताओं को उचित न्यायिक मंच के समक्ष और अनुपस्थिति में वैध अधिकारों को उजागर करने से रोकना है। सामग्री के मामले में, प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

23. उत्तरदाता संख्या 7 से 9 की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि बिल्कुल कोई दावा नहीं है।

इस बारे में कि कैसे उक्त दस्तावेज अपीलार्थी-शिकायतकर्ता के कब्जे से बाहर हो गए थे और केवल दस्तावेजों की प्रति [2019] 7 एस. सी. आर.

न तो यह चोरी होगी और न ही यह साजिश होगी। यह मानते हुए भी प्रस्तुत किया गया था कि सबूत अवैध रूप से प्राप्त किए गए थे, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और यह चोरी नहीं हो सकती है।

24. हमने विद्वान वरिष्ठ की दलीलों पर विचार किया है

अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होना और

उल्ली ने विवादित निर्णय और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

25. निम्नलिखित प्रश्न इन पर विचार करने के लिए उत्पन्न होते हैं।

और भीः

(i) क्या शिकायत में आरोप और मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतकर्ता का बयान और अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया मामला गठित करने के लिए पर्याप्त थी ताकि मजिस्ट्रेट के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि को उचित ठहराया जा सके।

उत्तरदाता?

((ii) क्या धारा 380,411 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने में उत्तरदाताओं का यह तर्क सही है और

120 - बी आई. पी. सी. और उत्तरदाताओं के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिमाग का उपयोग न करने के कारण दूषित है?

((ग) क्या उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों संख्या 1 से 28 तक की आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि दस्तावेजों में निहित केवल जानकारी को "चल संपत्ति" नहीं माना जा सकता है और यह चोरी या चोरी की संपत्ति की प्राप्ति के अपराध का विषय नहीं हो सकता है?

((iv) क्या कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष याचिका में विचाराधीन दस्तावेजों को उनके उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामले को साबित करने के लिए दाखिल किया गया है और दस्तावेज़ संख्या 1 में

न्यास विलेखों के निरसन को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमे अपराधों का संज्ञान लेने को उचित ठहराते हुए चोरी के बराबर होंगे।

(v) क्या दस्तावेजों को बेईमानी से स्थानांतरित किया गया है जिससे अपीलार्थियों को गलत नुकसान हुआ है और उत्तरदाताओं को गलत लाभ हुआ है?

(vi) क्या न्यायिक कार्यवाहियों में दस्तावेज़ दाखिल किए जा सकते हैं।

चोरी के कार्य के रूप में जाना जाता है जिससे स्वयं को गलत लाभ होता है और प्रतिद्वंद्वी को गलत नुकसान होता है ताकि उसे आकर्षित किया जा सके

आई. पी. सी. की धारा 378 के तत्व?

26. धारा 200 Cr.P.C के तहत दायर की गई शिकायत और धारा 202 Cr.P.C के तहत विचार की गई जांच और प्रक्रिया जारी करनाः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत, की प्रस्तुति पर एक व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, मजिस्ट्रेट से शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, से पूछताछ करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद, शिकायत में लगाए गए आरोपों, गंभीर पुष्टि पर शिकायतकर्ता के बयान और गवाहों की जांच के अवलोकन पर, मजिस्ट्रेट को खुद को संतुष्ट करना होगा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और इस तरह की संतुष्टि पर, मजिस्ट्रेट धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए निर्देश दे सकता है।

प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाता है और क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। 27. इस धारा के तहत जांच का दायरा केवल इस मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक ही सीमित है।

यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 204 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए या नहीं. या क्या शिकायत को धारा 203 Cr.P.C का सहारा लेकर खारिज किया जाना चाहिए. इस आधार पर कि शिकायतकर्ता और उसके गवाहों, यदि कोई हो, के बयानों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच के चरण में, मजिस्ट्रेट केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों या शिकायत में किए गए कथनों के समर्थन में साक्ष्य से संबंधित है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है।

28. नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम। बरकारा अब्दुल अज़ीज़ और एक अन्य (2013) 2 एस. सी. सी. 488, सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच के दायरे को समझाया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 9. शिकायत प्राप्त करने वाले मजिस्ट्रेट का कर्तव्य धारा 202 सी. आर. पी. सी. में निर्धारित किया गया है और मजिस्ट्रेट पर यह पता लगाने का दायित्व है कि क्या कोई ऐसा मामला है जिसकी आपराधिक अदालत द्वारा जांच की आवश्यकता है। इस धारा के तहत जांच का दायरा केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का पता लगाने तक सीमित है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रक्रिया जारी की जानी है या नहीं। धारा 202 सी. आर. पी. सी. के तहत जांच धारा 156 में अनुध्यात जांच से अलग है क्योंकि यह केवल मजिस्ट्रेट को यह तय करने के लिए आयोजित करने के लिए है कि क्या पर्याप्त है या नहीं।

उसे आगे बढ़ने के लिए जमीन। [2019] 7 एस. सी. आर. के तहत जांच का दायरा।

इसलिए, धारा 202 सी. आर. पी. सी. के निर्धारण तक सीमित है -

शिकायत में लगाए गए आरोपों की सच्चाई या झूठः

((i) शिकायतकर्ता द्वारा अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री पर;
((ii) यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए कि क्या प्रक्रिया जारी करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है; और

((ग) विशुद्ध रूप से शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से प्रश्न का निर्णय लेने के लिए, बिना किसी बचाव के जो अभियुक्त के पास हो सकता है।

29. महमूद उल रहमान बनाम। खज़ीर मोहम्मद टुंडा और

आर. एस. (2015) 12 एस. सी. सी. 420, धारा 202 के तहत जांच का दायरा

ग. और प्रक्रिया जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की संतुष्टि

निम्नलिखित रूप में माना और आयोजित किया जाता हैः

Cr.P.C, मजिस्ट्रेट, एक पर एक अपराध का संज्ञान लेते हुए शिकायत, शिकायतकर्ता की शपथ पर जांच करेगा और

गवाह, यदि कोई हो, उपस्थित हों और इस तरह की परीक्षा का सार लिखित होना चाहिए और शिकायतकर्ता, गवाहों और मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। धारा 202 Cr.P.C के तहत, यदि आवश्यक हो, तो मजिस्ट्रेट को या तो स्वयं मामले की जांच करने या किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच का निर्देश देने का अधिकार है "यह तय करने के उद्देश्य से कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं"। यदि, धारा 200 Cr.P.C के तहत दर्ज किए गए बयानों और धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच या जांच के परिणाम पर विचार करने के बाद,

मजिस्ट्रेट की राय है कि कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, उन्हें ऐसा करने के कारणों को संक्षेप में दर्ज करने के बाद शिकायत को खारिज कर देना चाहिए।

3. अध्याय XVI Cr.P.C "शुरुआत" से संबंधित है

मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही "। यदि, मजिस्ट्रेट की राय में

अपराध का संज्ञान लेते हुए, इसके लिए पर्याप्त आधार है

कार्यवाही करते हुए मजिस्ट्रेट को धारा के तहत प्रक्रिया जारी करनी होती है

204 (1) अभियुक्त की उपस्थिति के लिए Cr.P.C "।

30. भूषण कुमार और अन्य v में संज्ञान लेने की मानसिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग की अनिवार्य आवश्यकता को दोहराते हुए।

बिरला निगम v. एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) और एक अन्य (2012) 5 एस. सी. सी. 424, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 11. मुख्य प्रवर्तन अधिकारी बनाम। वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (2008) 2 एससीसी 492 (एससीसी पी। 499, पैरा 19) इस न्यायालय द्वारा "संज्ञान" पद की व्याख्या इस प्रकार की गई थी कि "इसका अर्थ केवल 'जागरूक होना' है और जब इसका उपयोग किसी न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है, तो इसका अर्थ न्यायिक रूप से ध्यान देना होता है।" यह उस बिंदु को इंगित करता है जब कोई अदालत या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे अपराध के संबंध में कार्यवाही शुरू करने की दृष्टि से किसी अपराध का न्यायिक नोटिस लेता है। यह पूरी तरह से एक

कार्यवाही की शुरुआत से अलग बात; बल्कि यह है

द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्त

मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश। संज्ञान मामलों का लिया जाता है न कि व्यक्तियों का। संहिता की धारा 190 के तहत, यह शिकायत में कथनों के लिए न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग है जो संज्ञान का गठन करता है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होगा कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। क्या साक्ष्य दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है, यह केवल मुकदमे में ही निर्धारित किया जा सकता है, न कि जांच के चरण में। यदि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट को जारी करने का अधिकार है -

संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया।

31. धारा 202 Cr.P.C की संशोधित उप-धारा (1) के तहत, मजिस्ट्रेट पर यह अनिवार्य है कि आरोपी को समन करने से पहले

इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हुए, वह स्वयं मामले की जांच करेगा या

किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जाँच का निर्देश दें जो यह पता लगाने के लिए उचित समझे कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। 32. Cr.P.C द्वारा। (संशोधन) अधिनियम, 2005, मूल अधिनियम की धारा 202 Cr.P.C में, 23.06.2006 से उप-धारा (1) में,

शब्द ". और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त किसी स्थान पर रह रहा है

उस क्षेत्र से परे जिसमें वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। "दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 19 द्वारा जोड़ा गया था। विधायिका की राय में, इस तरह का संशोधन आवश्यक था क्योंकि दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए उनके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों को गलत [2019] 7 एस. सी. आर. दाखिल करके परेशान नहीं किया जाए।

मजिस्ट्रेट के लिए पूछताछ करना अनिवार्य बनाने वाली शिकायतें। खंड 19 पर टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

" दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले लोगों के खिलाफ केवल उन्हें परेशान करने के लिए झूठी शिकायतें दर्ज की जाती हैं। यह देखने के लिए कि निर्दोष व्यक्तियों को बेईमान व्यक्तियों द्वारा परेशान नहीं किया जाता है, यह खंड धारा 202 की उप-धारा (1) में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि मजिस्ट्रेट पर यह अनिवार्य हो कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले अभियुक्त को बुलाने से पहले मामले की जांच स्वयं करेगा या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच का निर्देश देगा जो वह उचित समझे, यह पता लगाने के लिए कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार था या नहीं।

33. विजय धनुका और अन्य बनाम में धारा 202 Cr.P.C में संशोधन के दायरे को ध्यान में रखते हुए। नजीमा ममताज और अन्य (2014)

14 एस. सी. सी. 638, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" 12. ..... "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट द्वारा जांच या जांच को अनिवार्य बनाता है, जैसा भी मामला हो। "होगा" शब्द आम तौर पर अनिवार्य है लेकिन

कभी-कभी, संदर्भ या इरादे को ध्यान में रखते हुए, इसे निर्देशिका माना जा सकता है। सब में "होगा" शब्द का उपयोग

परिस्थितियाँ निर्णायक नहीं होतीं। उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम विधायिका के इरादे को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका उद्देश्य निर्दोष व्यक्तियों को झूठी शिकायतों से बेईमान व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न से रोकना है। इसलिए, हमारी राय में, "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग और पृष्ठभूमि और उद्देश्य जिसके लिए संशोधन लाया गया है, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि जांच या जांच, जैसा भी मामला हो सकता है। मजिस्ट्रेट
के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले अभियुक्तों के खिलाफ समन जारी करने से पहले अनिवार्य है।

चूँकि संशोधन का उद्देश्य बाहर रहने वाले व्यक्तियों को रोकना है

अदालत के अधिकार क्षेत्र को परेशान किए जाने से रोकने के लिए, यह दोहराया गया कि जांच का आयोजन अनिवार्य है। इस न्यायालय ने अभिजीत पवार बनाम में संशोधन के पीछे के उद्देश्य या उद्देश्य पर भी विचार किया था। हेमंत मधुखर निंबालकर और एक अन्य (2017) 3 एस. सी. सी. 528 और नेशनल बैंक ऑफ ओमान बनाम। बरकारा अब्दुल अज़ीज़ और एक अन्य (2013) 2 एस. सी. सी. 488।

34. अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। मन के अनुप्रयोग को इंगित किया जाना चाहिए

संतुष्टि पर मन का प्रकटीकरण। किसी शिकायत मामले में अभियुक्त को समन जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की ओर से कर्तव्यों पर विचार करते हुए और यह देखते हुए कि विवेक के अनुप्रयोग के रूप में पर्याप्त संकेत होना चाहिए और यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट को शिकायत का संज्ञान लेने में डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है, महमूद उल रहमान में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 22. ..... दंड प्रक्रिया संहिता में बोलने के आदेश की आवश्यकता होती है

धारा 203 Cr.P.C के तहत पारित किया जाना है।

खारिज कर दिया गया और वह भी कारणों को केवल संक्षेप में बताए जाने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष दायर प्रत्येक शिकायत का संज्ञान लेने और निश्चित रूप से प्रक्रिया जारी करने में डाकघर के रूप में कार्य नहीं करना है। पर्याप्त होना चाहिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में संकेत दिया गया है कि वह संतुष्ट है कि शिकायत में आरोप एक अपराध है और जब दर्ज किए गए बयानों और धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच या जांच की रिपोर्ट के परिणाम के साथ विचार किया जाता है, यदि

यदि कोई अभियुक्त आपराधिक न्यायालय के समक्ष जवाबदेह है, तो अभियुक्त के खिलाफ धारा 204 के तहत कार्यवाही करने का आधार है।

Cr.P.C., उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी करके। मन के अनुप्रयोग को संतुष्टि पर मन के प्रकटीकरण द्वारा सबसे अच्छा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी मामले में ऐसा कोई संकेत नहीं है जहां मजिस्ट्रेट

धारा 190/204 Cr.P.C के तहत आय, धारा 482 Cr.PC के तहत उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का उपयोग करने के लिए बाध्य है। एक अभियुक्त के रूप में आपराधिक अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया जाना समाज में किसी की गरिमा, आत्म-सम्मान और छवि को प्रभावित करने वाला गंभीर मामला है। अतः आपराधिक न्यायालय की प्रक्रिया को एक हथियार नहीं बनाया जाएगा।

उत्पीड़न "।

35. पेप्सी फूड्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम। विशेष न्यायिक

मजिस्ट्रेट और अन्य (1998) 5 एस. सी. सी. 749, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को समन करना एक गंभीर मामला है और अभियुक्त को समन करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और मुद्दे को नियंत्रित करने वाले कानून पर अपना दिमाग लगाया है। पैरा (28) में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 28. आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक कानून को निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता को आपराधिक कानून लागू करने के लिए शिकायत में अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए केवल दो गवाहों को लाना पड़ता है। मजिस्ट्रेट का आदेश

अभियुक्त को समन करने से यह पता चलना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों और उस पर लागू कानून पर अपना दिमाग लगाया है। उसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और उसके समर्थन में मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों की जांच करनी होगी और क्या यह शिकायतकर्ता के लिए अभियुक्त को आरोप सौंपने में सफल होने के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट पहले प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के समय मूक दर्शक होता है।

अभियुक्त को बुलाना। मजिस्ट्रेट को अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी होती है और वह स्वयं भी शिकायतकर्ता और उसके गवाहों से सवाल कर सकता है ताकि आरोपों की सच्चाई का पता लगाने के लिए जवाब प्राप्त किया जा सके या अन्यथा और फिर यह जांच की जा सके कि क्या कोई अपराध सभी या किसी भी आरोपी द्वारा किया गया है।

जी. एच. सी. एल. कर्मचारी स्टॉक विकल्प न्यास बनाम में इस सिद्धांत को दोहराया गया है कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है और निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले को गति नहीं दी जा सकती है। इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड (2013) 4 एससीसी 505।

36. अभियुक्त के रूप में आपराधिक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना एक गंभीर मामला है जो अपराध में किसी की गरिमा और प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।

समाज। पुलिस रिपोर्ट के अलावा किसी शिकायत पर दायर मामले में आरोपी को बुलाने के लिए इस तरह के गंभीर मामले का सहारा लेने में, इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप अपराध के आवश्यक तत्व हैं और क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बनाम। सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 499, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रक्रिया जारी करना यांत्रिक नहीं होना चाहिए और न ही इसे उत्पीड़न या उत्पीड़न का साधन बनाया जाना चाहिए।

अनावश्यक उत्पीड़न। 37. अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को विस्तृत आदेश दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसके आधार पर

शिकायत में लगाए गए आरोप या उसके समर्थन में दिए गए साक्ष्य, मजिस्ट्रेट को प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए कि पर्याप्त बी. आई. आर. एल. ए. निगम v हैं।

एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड [आर. भानुमति, जे.]

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही के लिए आधार। जगदीश राम बनाम। राजस्थान राज्य और एक अन्य (2004) 4 एस. सी. सी. 432, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 10. ..... अपराध का संज्ञान लेना एक क्षेत्र है

विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के भीतर। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना पड़ता है कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है और क्या दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। क्या सबूत समर्थन के लिए पर्याप्त है

दोषसिद्धि का निर्धारण केवल मुकदमे में किया जा सकता है न कि जांच के चरण में। अभियुक्त को प्रक्रिया जारी करने के चरण में,

मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

38. मामला कानून के व्यापक संदर्भ से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि शिकायत और शिकायतकर्ता के बयान में आरोप और अन्य

सामग्री को यह दिखाना चाहिए कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में, आइए हम वर्तमान मामले पर विचार करें कि क्या शिकायत में आरोप और शिकायतकर्ता के बयान और मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्य सामग्री

मजिस्ट्रेट की इस संतुष्टि को सही ठहराने के लिए कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार थे, प्रथम दृष्टया मामला गठित करने के लिए पर्याप्त था।

प्रत्यर्थियों-अभियुक्त और क्या विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने और प्रत्यर्थियों को प्रक्रिया जारी करने में विवेक का उपयोग किया गया था।

39. उत्तरदाता संख्या 1 से 5 में अल्पांश शेयरधारक हैं

अपीलार्थी-कंपनी। प्रत्यर्थी संख्या 6 एक वकील और बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। प्रत्यर्थी संख्या 6 को याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया था

सी. एल. बी. से पहले। उत्तरदाता संख्या 7,8 और 9 क्रमशः उत्तरदाता संख्या 1,3 और 2 के निदेशक हैं। 10.03.2010 पर, कंपनी याचिका सी. पी. संख्या 1/10 को कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष धाराओं के तहत दायर किया गया था। 235 , 237 , 247 , 250 , 397 , 398 , 402 और कंपनी अधिनियम, 1956 के 403 उत्तरदाता संख्या 1 से 5 तक जो अपीलार्थी कंपनी के शेयरधारक हैं।

उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाना। मेसर्स बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट

(प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया) भी कंपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं में से एक है। कंपनी याचिका के साथ, विचाराधीन दस्तावेजों की प्रति यानी दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 तक दस्तावेज़ सहित

संख्या 1-आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल की गई और कंपनी याचिका की अग्रिम प्रति और दस्तावेजों की प्रति अपीलार्थी को दी गई।

40. 24.03.2010 पर, उत्तरदाताओं No.12 से 16 ने पाँच दीवानी दायर किए हैं।

उच्च न्यायालय [2019] 7 एस. सी. आर. के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

माधव प्रसाद बिड़ला (एम. पी. बी.) और प्रियंवदा देवी बिड़ला (पी. डी. बी.) द्वारा 1988 में बनाए गए पांच सार्वजनिक धर्मार्थ न्यासों को निरस्त करने को चुनौती देते हुए कलकत्ता का सी. एस. 2010 का सी. एस. Nos.73-77 है। उत्तरदाता संख्या 12 से 16 ने कहा है कि न्यासों के पास हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति है जो दान के लिए समर्पित न्यासों के पास निहित है। उक्त मुकदमों में, उत्तरदाताओं ने ट्रस्टों के निरसन को चुनौती दी है और एम. पी. बी. और पी. डी. बी. द्वारा स्थापित पांच ट्रस्टों के माध्यम से सार्वजनिक दान में निहित संपत्ति की वसूली की मांग की है और उक्त मुकदमे लंबित हैं। आई. डी. 2 पर, अंतरिम राहत की प्रार्थना करते हुए उपरोक्त मुकदमों में पांच अंतर्वर्ती आवेदन दायर किए गए हैं और उन आवेदनों में, उत्तरदाताओं ने नवंबर, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दस्तावेज़ संख्या 1-बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड की चंदेरिया इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की 16 फोटोकॉपी संलग्न की है। इसके लगभग सात महीने बाद, आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 से 16 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 379,403 और 411 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें दस्तावेजों की चोरी और चोरी की संपत्ति की प्राप्ति और दस्तावेजों के बेईमानी से गबन का आरोप लगाया गया।

दस्तावेज़। सोलह अभियुक्तों में से छह निगमित संस्थाएं हैं और बाकी स्वाभाविक व्यक्ति हैं। उत्तरदाता संख्या 1 से 5 तक ऐसे शेयरधारक हैं जो

2010 की कंपनी याचिका सी. पी. संख्या 1 दायर की। उत्तरदाता से लेकर 16 तक वे वादी हैं जिन्होंने पांच न्यासों को निरस्त करने और सार्वजनिक दान में निहित संपत्तियों की वसूली को चुनौती देते हुए दीवानी मुकदमे दायर किए हैं।

41. उत्तरदाता संख्या 3,6,12 और कुछ अन्य उत्तरदाता मुकदमे की स्थानीय सीमाओं से परे निवासी हैं।

न्यायालय-10 म महानगर दंडाधिकारी, कलकत्ता। चूंकि अभियुक्तों की संख्या निचली अदालत की स्थानीय सीमा से बाहर के निवासी हैं, इसलिए धारा 202 के संशोधित प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट पर यह अनिवार्य है कि वह अभियुक्त को बुलाने से पहले मामले की जांच करेगा या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश देगा जो यह पता लगाने के लिए उचित समझे कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। वर्तमान मामले में, विद्वान मजिस्ट्रेट ने स्वयं इस तरह की जांच करने का विकल्प चुना है।

42. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं ने दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 तक अनधिकृत पहुँच और कब्जा प्राप्त कर लिया है। यह आरोप लगाया गया है कि 1 से 28 तक के दस्तावेजों को अपीलार्थी के परिसर से चोरी/दुरुपयोग किया गया है और इसकी फोटोकॉपी करने के बाद दस्तावेज़, उन्हें परिसर में वापस रखा गया था। जहां तक दस्तावेजों का संबंध है, बी. आई. आर. एल. ए. निगम v.

No.29 से 54 तक, यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें चोरी/दुरुपयोग किया गया है और वापस नहीं किया गया है और अभी भी उत्तरदाताओं के कब्जे में हैं। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 16 ने अनधिकृत पहुंच प्राप्त की थी और उक्त दस्तावेजों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयोग किया था। यह आगे आरोप लगाया गया है कि 29.03.2010 दिनांकित पत्र द्वारा, यह खुलासा करने के लिए कहा जाने पर कि उत्तरदाताओं ने दस्तावेज़ कैसे प्राप्त किए थे, उत्तरदाताओं ने 30.03.2010 दिनांकित पत्र द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से परहेज किया।

इस आधार पर कि ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए सी. एल. बी. की कोई प्रक्रिया नहीं थी।

43. शिकायत में लगाए गए आरोपों का सार यह हैः

(i) प्रतिवादी No.10-कंपनी उस भवन के दिन-प्रतिदिन के रखरखाव की प्रभारी है जिसमें शिकायतकर्ता और अन्य का कार्यालय है। उत्तरदाता No.11 में सीईओ है

प्रत्यर्थी का प्रभार No.10 और प्रत्यर्थी संख्या 10 के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार।

(ii) उत्तरदाता संख्या 1 से 9 के पास दस्तावेजों संख्या 1 से 28 की फोटोकॉपी है और उनके पास होने की बात कही गई है -

दस्तावेज़ों के मूल No.29 से 54 तक;

(iii) सी. एल. बी. के समक्ष कंपनी याचिका में उत्तरदाता संख्या 1 से 9 तक दस्तावेजों की फोटोकॉपी का उपयोग और दस्तावेज़ संख्या 1 का उपयोग-उत्तरदाताओं द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट No.12

उनके द्वारा दायर दीवानी मुकदमों में 16 तक;

((iv) दस्तावेज़ अत्यधिक गोपनीय हैं और केवल अपीलकर्ता कंपनी के नामित और निर्दिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए हैं और उत्तरदाताओं ने दस्तावेज़ों तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त की है और दस्तावेज़ों पर नियंत्रण का प्रयोग किया है; और
(v) उत्तरदाता संख्या 1 से 9 तक दिनांकित 29.03.2010 नोटिस जारी करने और उत्तरदाता संख्या No.12 से 16 तक दिनांकित 01.04.2010 नोटिस जारी करने के बावजूद दस्तावेजों की प्रतियों के स्रोत की व्याख्या करने में चूक।

44. दस्तावेज़ संख्या 1-चंदेरिया इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, यह आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज़ संख्या 1 की मूल की एक प्रति बच्चू राज नगर को चिह्नित की गई थी और यह दावा किया गया था कि यह अभी भी उनके पास है। दस्तावेज़ संख्या 2 से 28 के संदर्भ में, अनुच्छेद संख्या (20) में

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज़ों को [2019] 7 एस. सी. आर. पर परिसर में रखा गया था।

संबंधित व्यक्तियों या उनके सचिवों और उत्तरदाताओं के साथ तीसरी और चौथी मंजिल ने अनधिकृत पहुंच प्राप्त की है और दस्तावेजों पर उनका नियंत्रण था। उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोप यह है कि उत्तरदाता No.10 और 11 बिड़ला भवनों के नियंत्रण और प्रबंधन में हैं और उनकी सुरक्षा और प्रबंधन और रखरखाव की समग्र जिम्मेदारी है। यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं ने उत्तरदाताओं No.10 और 11 के साथ मिलकर दस्तावेजों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की है और इस प्रकार दस्तावेजों के पास है परिसर से चोरी की गई और फिर दुरुपयोग किया गया। शिकायत में दिए गए कथन भले ही अंकित मूल्य पर लिए गए हों और पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों, आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध नहीं हैं।

45. सी. पी. नं. 1/1010 दाखिल करने का उल्लेख करने के बाद, जहां दस्तावेजों की ज़ेरॉक्स प्रतियां संलग्न की गई थीं, शिकायत में निम्नलिखित आरोप लगाए गए हैं:

" 9. ..... कंपनी प्रस्तुत करती है कि उक्त दस्तावेज अत्यधिक गोपनीय आंतरिक रिकॉर्ड और कंपनी और कंपनी के पत्राचार हैं।

उनके अधिकारी। इन दस्तावेजों को हर समय उक्त परिसर में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अंदर रखा जाता था। इन दस्तावेजों की पहुंच प्रतिबंधित है और ये केवल नामित और निर्दिष्ट व्यक्तियों के अवलोकन और उपभोग के लिए हैं। ये दस्तावेज़ और उसमें निहित जानकारी कंपनी की संपत्ति है जिस पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं है।

सही "।

46. 06.10.2010 पर, शिकायतकर्ता कंपनी के उपाध्यक्ष (कानूनी)-पावर ऑफ अटॉर्नी, श्री समीर गांगुली से पूछताछ की गई।

धारा 200 Cr.P.C के तहत कंपनी के प्रतिनिधि श्री समीर गांगुली ने कहा है कि "अभियुक्त व्यक्तियों ने विभिन्न मंचों के समक्ष विभिन्न मुकदमे दायर किए हैं। इन अभियुक्त व्यक्तियों ने विभिन्न दस्तावेजों की चोरी का गंभीर अपराध किया है जिसका मैंने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है। श्री समीर गांगुली ने आगे कहा है:

और प्रत्येक मंजिल की सुरक्षा। ... . सामान्य तौर पर, अभियुक्त व्यक्तियों को अवैध साधनों के अलावा उन दस्तावेजों तक कभी भी पहुंच नहीं हो सकती थी। दस्तावेज़ अत्यधिक गोपनीय हैं जैसे कि हमारी एक इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो उनके कब्जे में नहीं होनी चाहिए।

अन्य अभियुक्त बिरला निगम v. एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड [आर. भानुमति, जे.]

व्यक्तियों ने उन चोरी किए गए दस्तावेजों के आधार पर पांच दीवानी मुकदमे दायर किए हैं, जिनसे मुझे आशंका है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे की मिलीभगत से उन दस्तावेजों को चोरी करके प्राप्त किया है।

47. उपाध्यक्ष (कानूनी) और कंपनी के प्रतिनिधि होने के नाते, श्री समीर गांगुली को इस बारे में व्यक्तिगत जानकारी नहीं हो सकती है।

भवन के रखरखाव से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि उत्तरदाता No.10 और 11 चोरी के लिए जिम्मेदार हैं। 49. जहाँ तक प्रत्यर्थी No.11, जो प्रत्यर्थी No.10-कंपनी का सी. ई. ओ. है, का संबंध है, यह कहा जाता है कि वह प्रत्यर्थी No.10-कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार है और शिकायतकर्ता ने प्रत्यावर्ती दायित्व के सिद्धांत का आह्वान किया। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देसाई ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी No.11 के खिलाफ कार्यवाही के लिए, शिकायत में स्वाभाविक व्यक्ति की "सक्रिय भूमिका" दिखाई जानी चाहिए। रिलायंस को सुनील भारती मित्तल बनाम पर रखा गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2015) 4 एस. सी. सी. 609, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः

" 43. इस प्रकार, एक व्यक्ति जिसने किसी कंपनी की ओर से अपराध किया है, उसे आरोपी बनाया जा सकता है। कंपनी के साथ, यदि आपराधिक इरादे के साथ उसकी सक्रिय भूमिका का पर्याप्त सबूत है। '[2019] 7 एस. सी. आर.

50. जैसा कि उत्तरदाताओं No.10 और 11 के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सही रूप से प्रस्तुत किया गया है, यह अकल्पनीय है कि उत्तरदाता No.11, उत्तरदाता के सीईओ हैं।

No.10-यदि कंपनी चोरी का अपराध करती है, तो उसे उस पेशे में बने रहने की अनुमति दी जाती। यह ध्यान दिया जाए कि शिकायतकर्ता अपीलकर्ता कंपनी भी प्रतिवादी संख्या 10-कंपनी में एक शेयरधारक है और दिसंबर, 2012 में उनकी मृत्यु तक प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता के निदेशक मंडल में इसके नामित श्री एस. एन. प्रसाद थे। यह ध्यान रखना उचित है कि कथित चोरी या किसी अन्य स्पष्ट कार्य के खिलाफ प्रतिवादी No.11 के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं की गई है। शिकायत में विवरण या प्रथम दृष्टया मामले के अभाव में या उत्तरदाताओं No.10 और 11 के खिलाफ श्री समीर गांगुली के बयान में, मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अनुमानित आधार पर प्रतीत होती है कि उत्तरदाता No.10 और 11 भवन के रखरखाव के प्रभारी हैं। इसी तरह, अन्य प्रत्यर्थियों को प्रक्रिया जारी करना केवल इस अनुमानित आधार पर है कि उन्होंने सी. पी. संख्या 1/1010 और न्यासों के निरसन को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमों में दस्तावेजों की प्रतियां दायर की हैं।

51. मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांकित 06.10.2010 के आदेश में कहा कि चूंकि कुछ आरोपी व्यक्ति स्थानीय क्षेत्र से बाहर के निवासी हैं

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, मामले की आगे धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच करने की आवश्यकता है और इसलिए, मामले को आगे की जांच के लिए 08.10.2010 पर निर्धारित किया गया है। 08.10.2010 पर, पी. बी. अपीलकर्ता कंपनी के कर्मचारी दिनेश से पूछताछ की गई, जिन्होंने कहा है कि प्रतिवादी No.14-कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यालय मुंबई में है; प्रतिवादी No.15-सिद्धार्थ बिड़ला भी उस कंपनी का हिस्सा हैं और वे अलीपुर, कलकत्ता में रहते हैं; प्रतिवादी No.13-राजेंद्र प्रसाद पानसारी कलकत्ता के निवासी हैं जो अब बिड़ला समूह में शामिल हो गए हैं। गवाह पी. बी. दिनेश ने कहा है कि इन प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी की हिरासत से चोरी किए गए दस्तावेज प्राप्त किए हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष मामला दर्ज किया है।

52. शिकायत में लगाए गए आरोपों और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री समीर गांगुली और पी. बी. दिनेश के बयानों के आधार पर

उन्होंने संज्ञान लिया और उत्तरदाता संख्या 1 से 16 तक को समन जारी करने का निर्देश दिया। जैसा कि पहले बताया गया है, खंड 19 पर टिप्पणियों के अनुसार, धारा 202 में संशोधन के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दूर-दराज के स्थानों पर रहने वाले निर्दोष व्यक्तियों को उनके द्वारा परेशान नहीं किया जाए।

बेईमान लोग। इसलिए, संशोधन मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को बुलाने से पहले, मजिस्ट्रेट को मामले की जांच या तो स्वयं या बी. आई. आर. एल. ए. निगम से करनी होगी।

पुलिस अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष जाँच की जानी चाहिए और उसे अपने दिमाग को लागू करने और कारणों के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

53. जैसा कि हमने पहले बताया, पी. बी. दिनेश ने केवल यह कहा था कि प्रत्यर्थी श्री कुमार मंगलम बिड़ला आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं जिनका कार्यालय मुंबई में है और प्रत्यर्थी श्री सिद्धार्थ बिड़ला कंपनी का एक हिस्सा हैं और अलीपुर में रहते हैं। पी. बी. दिनेश ने यह भी कहा है कि प्रतिवादी राजेंद्र प्रसाद पानसारी कलकत्ता में रहते हैं और वे बिड़ला निगम के पूर्व कर्मचारी थे और अब वे बिड़ला समूह में शामिल हो गए हैं। पी. बी. दिनेश ने इस प्रकार प्रतिवादी No.14 के मुंबई में रहने और उनके निवास के बारे में बताया है।

कलकत्ता में उत्तरदाता No.13 और 15। प्रत्यर्थी No.14 या किसी अन्य प्रत्यर्थी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं जो अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं। इसी तरह, इस बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं है कि प्रत्यर्थी या अन्य प्रत्यर्थी जो अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं, उन्होंने अपीलकर्ता कंपनी के भवन में प्रवेश कैसे किया है और दस्तावेजों की चोरी की है और न ही कथित साजिश के बारे में कोई विशिष्ट आरोप लगाया है।

55. अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने का आदेश देते समय, मजिस्ट्रेट को शिकायत में दिए गए कथनों, शिकायतकर्ता के बयान की शपथ पर जांच और गवाहों के बयान की जांच को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि महमूद उल रहमान में कहा गया है, क्योंकि यह कुछ तथ्यों का न्यायिक नोटिस लेने की प्रक्रिया है जो एक अपराध, यह ध्यान में रखना होगा कि क्या अदालत के समक्ष लाई गई सामग्री अपराध होगी और क्या [2019] 7 एस. सी. आर. हैं।

अभियुक्तक विरुद्ध कार्यवाही करबाक लेल पर्याप्त आधार। यह एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। 56. जैसा कि चंद्र देव सिंह बनाम में माना गया है। प्रकाश चंद्र बोस उर्फ चाबी बोस और एक अन्य ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1430 और

उच्चतम न्यायालय के निर्णय, धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच का उद्देश्य मजिस्ट्रेट के लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच करना है ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि शिकायत तुच्छ नहीं है और सबूत/सामग्री है जो मजिस्ट्रेट के लिए धारा 204 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया जारी करने के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार बनाती है।

मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वह हर उस तथ्य को उजागर करे जो शिकायतकर्ता और शिकायतकर्ता की प्रामाणिकता को स्थापित करेगा।

" शिकायतकर्ता कंपनी का प्रतिनिधि मौजूद है। यह अदालत धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच के लिए मामले का रिकॉर्ड लेती है। पूछताछ के दौरान गवाह पी. बी. दिनेश से पूछताछ की जाती है और उसका बयान दर्ज किया जाता है। ऐसा लगता है कि जांच का उद्देश्य पूरा हो गया है। के लिए दायर हलफनामे का अध्ययन किया

शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से वह उद्देश्य। शिकायतकर्ता कंपनी ने अपने मामले के समर्थन में दस्तावेजों (मूल और ज़ेरॉक्स प्रतियां दोनों) का समर्थन किया और उन पर भरोसा किया। उपरोक्त सभी पर विचार करते हुए मुझे सभी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मिलते हैं।

सोलह अभियुक्त व्यक्तियों के अधीन अपराध करने के लिए

आई. पी. सी. की धारा 380,411,120 बी। संज्ञान लिया जाता है। एस/आर और उपस्थिति के लिए 10.12.2010 तय करने वाले अभियुक्त व्यक्तियों को तदनुसार समन जारी करें। तुरंत आवश्यकताएँ "।

अपराध का संज्ञान लेने के लिए, मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार अन्य बातों के साथ-साथ शिकायतकर्ता और पी. बी. दिनेश के बयान पर भरोसा किया - इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि उत्तरदाताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, न ही बयान का

शिकायतकर्ता और न ही पी. बी. दिनेश के बयान में मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करने के लिए अपराध के बारे में विवरण शामिल हैं कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार थे। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अवलोकन से, हम उत्तरदाता संख्या 1 से 16 के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने में दिमाग के उपयोग का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं पाते हैं, जिसमें उत्तरदाता भी शामिल हैं। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर के निवासी। भले ही बोल रहे हों या

इस स्तर पर विस्तृत तर्कपूर्ण आदेशों की आवश्यकता नहीं है, बी. आई. आर. एल. ए. निगम v होना चाहिए।

इस बात का पर्याप्त संकेत है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध करने वाले तथ्यों पर विचार किया गया था।

58. शिकायत में न तो कोई कथन है और न ही शिकायतकर्ता या गवाह पी. बी. दिनेश के बयान में आरोप हैं कि कब और कब

आरोप लगाया। वर्तमान मामले में, शिकायत में चोरी के समय और स्थान या चोरी करने वाले व्यक्ति के बारे में विवरण का अभाव है। शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कैसे दस्तावेज शिकायतकर्ता के कब्जे से बाहर चले गए थे। शिकायतकर्ता श्री समीर गांगुली का केवल यह बयान है कि उत्तरदाताओं ने चोरी किए गए दस्तावेजों के आधार पर दीवानी मुकदमा दायर किया है और उन्हें आशंका है कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत की है दस्तावेजों को चोरी करके प्राप्त किया होगा। विवरणों के अभाव में, केवल दस्तावेजों के कब्जे या केवल प्रस्तुत करके

कंपनी याचिका या दीवानी मुकदमों के दस्तावेजों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए थे या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि प्रक्रिया जारी करने को उचित ठहराती थी।

59. जैसा कि पेप्सी फूड्स लिमिटेड में कहा गया है, आपराधिक अपराध के लिए आरोपी को तलब करना एक गंभीर मामला है और प्रतिवादी आपराधिक अदालत में जवाबदेह हैं। सामग्री के बारे में दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को एक प्रक्रियात्मक अनियमितता के रूप में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के दिनांक 1 के आदेश में आई. पी. सी. की धारा 380,411 और 120-बी के तहत प्रत्यर्थियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार के रूप में मन के अनुप्रयोग और मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के रूप में कोई संकेत नहीं है।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

60. उच्च न्यायालय ने कहा कि गवाह पी. बी. दिनेश ने कुछ अभियुक्तों की कथित संलिप्तता के बारे में कहा है और इसमें कोई मौलिक तथ्य नहीं है

प्रक्रिया का पालन करने में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई त्रुटि दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XIX। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि सबसे खराब दोष एक प्रक्रियात्मक अनियमितता होगी।

अपराध का संज्ञान लेते हुए 08.10.2010 का आदेश

उत्तरदाता संख्या 1 से 16 के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 380,411 और 120 बी को दरकिनार किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो जाँच कर रहे हैं

धारा 202 Cr.P.C के तहत साक्ष्य एकत्र करने और मामले की जांच करने की पूरी शक्ति है। हम इस बात से अवगत हैं कि एक बार जब मजिस्ट्रेट अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर लेता है, तो यह सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के लिए नहीं है कि वह गुण-दोष के आधार पर मामले की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट के अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करे। मजिस्ट्रेट मामले के गुण-दोषों की विस्तृत जांच या चर्चा शुरू नहीं कर सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट को इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या एक प्रथम मामला बनाया गया है या नहीं और खुद को संतुष्ट करने से पहले सामग्री पर दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हाथ में मामले में, हम यह नहीं पाते हैं कि समन जारी करने के लिए मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अच्छी तरह से आधारित है।

61. धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच का उद्देश्य "यह तय करने के उद्देश्य से है कि पर्याप्त आधार है या नहीं।

आगे बढ़ने के लिए "। धारा 202 Cr.P.C के तहत जांच का पता लगाना है।

तथ्य यह है कि क्या शिकायत का कोई वैध आधार है जो शिकायत करने वाले व्यक्ति को प्रक्रिया जारी करने के लिए कहता है या क्या यह आधारहीन है

जिस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। कानून मजिस्ट्रेट पर यह तय करने की गंभीर जिम्मेदारी लगाता है कि क्या आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। प्रक्रिया जारी करना यांत्रिक नहीं होना चाहिए और न ही अभियुक्त को परेशान करने के साधन के रूप में बनाया जाना चाहिए। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अभियुक्तों को आपराधिक मामले में पेश होने के लिए बुलाने के लिए प्रक्रिया जारी करना एक गंभीर मामला है और इसकी कमी है।

सामग्री के बारे में भौतिक विवरणों और दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को इस आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक अनियमितता है।

वर्तमान मामले में, प्रतिवादियों को प्रक्रिया जारी करने का आदेश देने में मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अच्छी तरह से स्थापित नहीं है और आरोपी को बुलाने के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में कहा गया है कि धारा 202 Cr.P.C के तहत प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था, जिसे कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

बिरला निगम v. एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

कंपनी में दस्तावेजों की प्रतियों का उत्पादन

याचिका-क्या यह चोरी होगीः

62. जहाँ तक कंपनी की याचिका में दायर किए गए दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 तक,

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि 1 से 28 तक के दस्तावेजों के मूल अभी भी अपीलकर्ता कंपनी की अभिरक्षा में हैं-शिकायतकर्ता, अस्थायी उन दस्तावेजों को हटाना और कथित रूप से हटाने का विषय उन दस्तावेजों में निहित "जानकारी" था, इसे "चल संपत्ति" नहीं माना जा सकता है। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि दस्तावेजों को अस्थायी रूप से हटाना और जानकारी का उपयोग चोरी या संपत्ति के बेईमान दुरुपयोग के साथ-साथ चोरी की संपत्ति को बेईमान प्राप्त करने के अपराध का विषय नहीं हो सकता है।

63. जहां तक दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 का संबंध है, विचार के लिए मुद्दा यह है कि क्या इसे अस्थायी रूप से हटाया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ और फोटोकॉपी दाखिल करना और दस्तावेज़ों की जानकारी/सामग्री का उपयोग चोरी का विषय हो सकता है।

64. अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी-कंपनी के कब्जे से दस्तावेज़ों को हटाने का कार्य ही चोरी के बराबर होगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि नुकसान स्थायी रूप से नहीं होना चाहिए

संपत्ति का अभाव; लेकिन चोरी के कारण नुकसान संपत्ति के अस्थायी स्थानांतरण के कारण भी हो सकता है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान

अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील ने प्यारे लाल भार्गव बनाम पर बहुत अधिक भरोसा रखा। राजस्थान राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1094 उक्त मामले में, जिसमें अपीलकर्ता-मुख्य अभियंता कार्यालय के अधीक्षक प्यारे लाल भार्गव को राम कुमार राम के कहने पर एक फाइल मिली।

सचिवालय से एक क्लर्क के माध्यम से और फाइल को अपने घर ले गए, उक्त राम कुमार राम को उपलब्ध कराया जिन्होंने उन्हीं दस्तावेजों को बदल दिया अन्य कागजों के साथ फाइल में और उसके बाद, अगले दिन फाइल वापस कर दी। उक्त मामले में, यह तर्क देते हुए दलीलें दी गईं कि अपीलार्थी/अभियुक्त प्यारे लाल भार्गव मामले में काम करने वाले अधिकारियों में से एक थे।

विभाग और तथ्य चोरी का अपराध नहीं हैं

इसका कारण यह था कि इसे बेईमानी से लेने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उन्होंने इसे केवल राम कुमार राम को दस्तावेज दिखाने के उद्देश्य से लिया था

और अगले दिन उसे कार्यालय में वापस कर दिया और इसलिए, उसने किसी भी व्यक्ति के कब्जे से उक्त फाइल नहीं ली थी। उक्त बात को अस्वीकार करते हुए

तर्क देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "... चोरी करने के लिए, किसी को चल संपत्ति को स्थायी रूप से कब्जे से बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे वापस न करने के इरादे से दूसरे का।

यह

[2019] 7 एस. सी. आर. को संतुष्ट करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

परिभाषा यदि उसने किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से कोई चल संपत्ति ले ली, हालांकि वह बाद में उसे वापस करने का इरादा रखता था।

प्यारे लाल भार्गव में निर्धारित अनुपात के आलोक में, मूल दस्तावेजों को अस्थायी रूप से हटाने के उद्देश्य से

इस प्रकार किसी अन्य माध्यम में उनमें निहित जानकारी संपत्ति के "स्थानांतरण" की आवश्यकता को पूरा करेगी जो आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत परिभाषित चोरी के अपराध का वास्तविक कारण है।

65. प्यारे लाल भार्गव में, एक और तर्क उठाया गया था कि आरोपी का इसे बेईमानी से लेने का इरादा नहीं था क्योंकि उसे कोई "गलत लाभ" नहीं मिला था या किसी अन्य व्यक्ति को कोई "गलत नुकसान" नहीं हुआ था। उक्त तर्क को खारिज करते हुए, प्यारे लाल भार्गव में, सर्वोच्च

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

इसे खोना कानूनी रूप से हकदार है। यह विवादित नहीं हो सकता कि अपीलार्थी ने अनधिकृत रूप से कार्यालय से फाइल ले ली और उसे राम कुमार राम को सौंप दिया। इसलिए उन्होंने विभाग से फाइल को गैरकानूनी रूप से ले लिया था और कुछ समय के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग विभाग को उक्त फाइल के कब्जे से वंचित कर दिया था। हानि संपत्ति के स्थायी अभाव के कारण नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह अस्थायी विस्थापन के कारण भी हो सकता है, हालांकि इसे लेने वाले व्यक्ति का इरादा इसे जल्द या बाद में बहाल करने का था। किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से वंचित या बेदखल होने की अस्थायी अवधि।

दूसरे को नुकसान पहुँचाता है।

66. चोरी के प्रमुख घटकों में से एक यह है कि चोरी का विषय "चल संपत्ति" होना चाहिए। चलने योग्य

आई. पी. सी. की धारा 22 में संपत्ति को परिभाषित किया गया है जिसमें प्रत्येक विवरण की भौतिक संपत्ति शामिल है। यह संदेह से परे है कि एक दस्तावेज़ एक है

" आई. पी. सी. की धारा 22 के अर्थ के भीतर चल संपत्ति जो चोरी का विषय हो सकती है। "दस्तावेज़" एक "भौतिक संपत्ति" है। एक वस्तु "भौतिक" होती है यदि उसकी शरीर, भौतिक और भौतिक उपस्थिति होती है। आई. पी. सी. की धारा 29 के अनुसार, "दस्तावेज़" अक्षरों, आकृतियों या बी. आई. आर. एल. ए. निगम के माध्यम से किसी भी पदार्थ पर व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले को दर्शाता है।

निशान या उन साधनों में से एक से अधिक, जिनका उपयोग करने का इरादा है, या जिनका उपयोग उस मामले के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। आई. पी. सी. की धारा 29 के पहले स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि यह मायने नहीं रखता कि ये किस माध्यम से या किस पदार्थ पर बने हैं। इस परिभाषा में किसी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी शामिल होगी। आई. पी. सी. की धारा 29 के स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार, पत्रों, आंकड़ों या निशानों को धारा के अर्थ के भीतर ऐसे अक्षरों, आंकड़ों या निशानों द्वारा व्यक्त किया गया माना जाएगा। इस प्रकार ऐसे अक्षरों, आकृतियों या निशानों की भौतिक और भौतिक उपस्थिति होती है।

अतः यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त जानकारी "दस्तावेज़"-एक भौतिक संपत्ति के दायरे में आने वाला माना जाता है।

67. यदि किसी दस्तावेज़ में निहित जानकारी को दोहराया जाता है, तो वह चोरी का विषय हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप गलत नुकसान हो सकता है, भले ही वह मूल हो।

1 से 28 तक के दस्तावेजों की चोरी नहीं होगी। दस्तावेजों और दस्तावेजों की प्रतिकृति और उन पर सामग्री की भौतिक उपस्थिति है और इसलिए, निश्चित रूप से "भौतिक संपत्ति" हैं और वही चोरी का विषय हो सकता है। 69. विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में दस्तावेजों को अस्थायी रूप से हटाना और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों में उनका उपयोग करना आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए चोरी के बराबर होगा।

70. मान लीजिए कि कंपनी की याचिका में प्रत्यर्थियों द्वारा दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 तक, जिसमें दस्तावेज़ संख्या 1-अपीलकर्ता कंपनी की चंदेरिया इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल है, दायर की गई है। ये दस्तावेज़ अपीलार्थी कंपनी के संचालन के संबंध में अंतर-कंपनी पत्राचार, आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, समझौते आदि हैं। मान लीजिए, ये दस्तावेज़ कंपनी की याचिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

अपीलार्थी के शेयरधारकों द्वारा-कंपनी प्रत्यर्थी No.17 और [2019] 7 एस. सी. आर. द्वारा उत्पीड़न और कुप्रबंधन के अपने मामले को साबित करने के लिए।

उनके अधिकारों की पुष्टि। जैसा कि हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में चर्चा की गई है, हमारे विचार में दस्तावेजों को अस्थायी रूप से लेना और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों में उनका उपयोग करना चोरी नहीं होगी।

71. आपराधिक शिकायत में, दिनांक 08.10.2010 के आदेश द्वारा, मजिस्ट्रेट ने धारा 380 के तहत अपराध का संज्ञान लिया है। आई. पी. सी.-"घर में चोरी, आदि।" चोरी होने के लिए, निम्नलिखित सामग्री आवश्यक हैं:

आई. संपत्ति लेने का बेईमान इरादा;

ii. संपत्ति चल-योग्य होनी चाहिए।

iii. इसे किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे से निकाला जाना चाहिए।

iv. यह उस व्यक्ति की सहमति के बिना लिया जाना चाहिए;

संपत्ति का कुछ निष्कासन होना चाहिए ताकि

वी.

इसे पूरा करें।

72. इरादे अपराध का सार है। यह लेने वाले का इरादा है जो यह निर्धारित करता है कि किसी चीज़ को लेना या स्थानांतरित करना चोरी है या नहीं। "बेईमानी" करने का इरादा तब होता है जब लेने वाला किसी अन्य को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता है जो चोरी के बराबर है। यह "चोरी" के अपराध का एक अनिवार्य घटक है कि चल संपत्ति को किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से "स्थानांतरित" किया जाना चाहिए था। " "चल संपत्ति" को आई. पी. सी. की धारा 22 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

प्रत्येक विवरण की भौतिक संपत्ति को शामिल करने का इरादा, सिवाय इसके भूमि और पृथ्वी से जुड़ी चीजें या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं।

" आई. पी. सी. की धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

" बेईमानी-जो कोई भी एक व्यक्ति को गलत लाभ पहुँचाने या दूसरे को गलत नुकसान पहुँचाने के इरादे से कुछ भी करता है।

व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह ऐसा "बेईमानी" से करता है।

" धारा 23 में गलत लाभ और गलत नुकसान को परिभाषित किया गया है।

आई. पी. सी. जो निम्नानुसार है:

“ गलत लाभ "-" गलत लाभ "संपत्ति के गैरकानूनी साधनों से लाभ है जिसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

बिरला निगम v. एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

" गलत नुकसान "-" गलत नुकसान "संपत्ति के गैरकानूनी साधनों से होने वाला नुकसान है जिसके लिए उसे खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है।

गलत तरीके से प्राप्त करना, गलत तरीके से हारना-एक व्यक्ति को गलत तरीके से प्राप्त करने के लिए कहा जाता है जब ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से बनाए रखता है, साथ ही जब ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से प्राप्त करता है। एक व्यक्ति को गलत कहा जाता है-पूरी तरह से जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से किसी संपत्ति से बाहर रखा जाता है, साथ ही जब ऐसे व्यक्ति को गलत तरीके से संपत्ति से वंचित किया जाता है।

संपत्ति "।

अपीलार्थी कंपनी को "गलत नुकसान" पहुँचाने और अपने लिए "गलत लाभ" प्राप्त करने में उत्तरदाताओं की ओर से इरादा। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 तक अपीलकर्ता-कंपनी के शेयरधारक हैं और उन्होंने सी. एल. बी. की कार्यवाही में दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 की फोटोकॉपी प्रस्तुत की है जो उनके द्वारा निम्न आधार पर दायर की गई थीः उत्पीड़न और कुप्रबंधन। केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं ने सी. एल. बी. की कार्यवाही में दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने दस्तावेजों को हटा दिया है

" बेईमान "इरादा। दस्तावेजों की प्रतियां इसके समर्थन में प्रस्तुत की जाती हैं

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 तक का मामला और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी कंपनी के मामलों में कथित उत्पीड़न और कुप्रबंधन से जुड़ी न्यायिक कार्यवाही में न्यायालय को सच्चाई तक पहुंचने में सक्षम बनाना। किसी व्यक्ति को "बेईमान इरादा" कहा जा सकता है यदि संपत्ति लेने का इरादा गैरकानूनी तरीकों से गलत लाभ उठाना या गैरकानूनी तरीकों से गलत नुकसान पहुंचाना है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, शिकायत में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि प्रत्यर्थियों को कोई गलत लाभ या अपीलार्थी-कंपनी को गलत नुकसान हुआ था ताकि आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत चोरी की सामग्री का गठन किया जा सके। शिकायत में केवल यह आरोप लगाया गया है कि दस्तावेज़ की प्रतियों का उपयोग उत्तरदाता संख्या 1 से 5 द्वारा सी. एल. बी. की कार्यवाही में किया गया था। प्रत्यर्थियों को "गलत तरीके से लाभ" या अपीलार्थी को "गलत तरीके से नुकसान" का कोई आरोप नहीं है।

कुप्रबंधन। सी. एल. बी. की कार्यवाही में दस्तावेजों को दाखिल करना केवल अपीलार्थी के उत्पीड़न और कुप्रबंधन के उनके दावे पर जोर देने के लिए है। कंपनी। उत्तरदाताओं के अनुसार, उत्पीड़न और कुप्रबंधन का एक प्रामाणिक विवाद है और दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 केवल उनके मामले को साबित करने के लिए दायर किए गए हैं। जब [2019] 7 एस. सी. आर. के बीच एक प्रामाणिक विवाद मौजूद होता है।

पक्षकारों के बारे में कि क्या उत्पीड़न और कुप्रबंधन है, प्रत्यर्थियों को "गलत लाभ" या अपीलार्थी को "गलत नुकसान" का कोई सवाल ही नहीं है। दस्तावेजों का उपयोग करते समय, जब शिकायतकर्ता को "गलत नुकसान" पहुँचाने का कोई बेईमान इरादा न हो और "गलत" हो।

उत्तरदाताओं के लिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चोरी की सामग्री बनाई गई है।

75. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, उत्तरदाताओं No.12 से 16 ने ट्रस्टों की वसूली के लिए ट्रस्टों को रद्द करने को चुनौती देते हुए पांच दीवानी मुकदमे दायर किए हैं।

ऐसी संपत्ति जो न्यास विलेखों के माध्यम से सार्वजनिक दान में निहित थी। प्रत्यर्थियों से लेकर 16 तक ने दस्तावेज़ संख्या 1-अपीलकर्ता कंपनी की चंदेरिया इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति दाखिल की है। जब तक सिविल मुकदमों में दायर अंतर्वर्ती आवेदनों में दस्तावेज़ दायर किया गया था, तब तक दस्तावेज़ पहले से ही सीपी नंबर 1/10 में दायर किया जा चुका था। यहाँ फिर से, न्यास विलेख के निरसन की शुद्धता और शिकायत और अंतर्वर्ती आवेदनों में कथनों को प्रमाणित करने के बारे में एक प्रामाणिक विवाद है। यह नहीं कहा जा सकता है कि उत्तरदाता संख्या 1 से 16 का दस्तावेजों का उपयोग करने का बेईमान इरादा था ताकि अपीलार्थी को "गलत नुकसान" हो या "गलत लाभ" हो ताकि आई. पी. सी. की धारा 378 के तहत चोरी के तत्वों को आकर्षित किया जा सके।

76. उत्तरदाताओं के पास दस्तावेजों तक पहुंच कैसे थी, यह एक बात हो सकती है। इसका दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने वाले साक्ष्य मूल्य पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यह कहना कि यह चोरी के बराबर है और उत्तरदाताओं पर मुकदमा चलाने की कोशिश करना और कुछ नहीं बल्कि उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास है मुकदमे में उनका बचाव या प्रत्यर्थियों को उनके मूल्यवान बचाव से वंचित करना। पूरन मल बनाम। निरीक्षण निदेशक (जांच),

नई दिल्ली और अन्य (1974) 1 एस. सी. सी. 345, संविधान पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अवैध तलाशी और जब्ती के मामले में भी, प्राप्त दस्तावेजों को विचार से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वे मुद्दे के मामलों के लिए प्रासंगिक हैं। वर्तमान मामले में, दस्तावेजों का उपयोग कानूनी कार्यवाही में सद्भावना से किया जाता है, यानी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दायर कंपनी याचिका में उत्पीड़न और उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है।

कुप्रबंधन और अन्य मुकदमे न्यासों को रद्द करने को चुनौती देने वाले दीवानी मुकदमे हैं। ये मामले लंबित हैं और दोनों पक्ष उन मामलों को गर्मजोशी से लड़ रहे हैं। प्रतिवादियों द्वारा न्यायिक कार्यवाही में दस्तावेजों का उपयोग अपीलार्थी-कंपनी के उत्पीड़न और कुप्रबंधन के मामले को साबित करने के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से, उत्तरदाताओं को किसी भी "बेईमान इरादे" या "गलत लाभ" के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

इसी तरह, अपीलार्थियों को कोई "गलत नुकसान" नहीं है ताकि आई. पी. सी. की धारा 378 और 380 के तत्वों को आकर्षित किया जा सके।

77. आई. पी. सी. की धारा 24 के तहत "बेईमानी से" इरादा दूसरे को "गलत नुकसान" पहुंचाना या गलत तरीके से लाभ उठाना होना चाहिए।

स्वयं को। यह निर्धारित करने में कि किसी व्यक्ति ने बेईमानी की है या नहीं, यह इरादा है जिसे देखा जाना चाहिए। कानूनी कार्यवाही में दस्तावेज़ दाखिल करने से, प्रत्यर्थियों की ओर से अपीलार्थी को "गलत तरीके से नुकसान" पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है और न ही स्वयं को "गलत तरीके से लाभ" पहुँचाने का कोई इरादा है। कानूनी कार्यवाही में दस्तावेजों को दाखिल करना केवल कंपनी की याचिका में उनके रुख को सही साबित करने के लिए है। हम प्रत्यर्थियों संख्या 1 से 5 तक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री सिब्बल के निवेदन में बहुत बल पाते हैं कि प्रत्यर्थियों पर मुकदमा चलाने का प्रयास करने में अपीलार्थी का प्रयास प्रत्यर्थियों संख्या 1 से 9 तक और दीवानी मुकदमों में मुकदमा चलाकर सी. एल. बी. की कार्यवाही से पहले प्रासंगिक सामग्री दस्तावेजों को बंद करने के प्रयास में प्रत्यर्थियों को धोखा देता प्रतीत होता है।

78. क्या उत्तरदाताओं को बुलाना चाहिए था

विभिन्न प्रावधानों के अनुसार दस्तावेज़ः - अपीलार्थी की ओर से तर्क यह है कि कंपनी अधिनियम की धारा 10-ई और आदेश 11 सी. पी. सी. के तहत दस्तावेजों को बुलाने और खोज, पूछताछ और दस्तावेजों के निरीक्षण से संबंधित धारा 91 Cr.P.C के तहत पर्याप्त प्रावधान होने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए संदिग्ध तरीकों का सहारा लिया और इस प्रकार, यह तर्क देते हुए अपने कार्यों के लिए दायित्व से बच नहीं सकते कि चूंकि दस्तावेजों का उपयोग कानूनी कार्यवाही के लिए किया गया था, इसलिए यह चोरी नहीं हो सकती है।

79. निस्संदेह, तत्काल मामले से संबंधित सभी कानूनों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं ताकि किसी पक्ष को किसी मुकदमे या मुकदमे में सक्षम बनाया जा सके।

संबंधित न्यायालय को उचित निर्णय के लिए आवश्यक या वांछनीय माने जाने वाले सभी दस्तावेजों और सामग्रियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

हाथ में विवाद। यदि कब्जे में कोई दस्तावेज नोटिस के बाद पेश नहीं किया जाता है, तो धारा 114 के तहत आगे की धारणा है। (छ) यदि साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता तो वह विरोधी पक्ष के लिए प्रतिकूल होता।

80. यहाँ उत्तरदाताओं पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपीलकर्ता-निगम के दस्तावेजों का उपयोग उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बुलाए बिना किया है। कानून के अनुसार दस्तावेज़। बेशक, वादियों और उनके वकील से अपेक्षा की जाती है कि वे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में कानून और अदालत के खोज नियमों के प्रावधानों का पालन करें। लेकिन केवल इसलिए कि उत्तरदाताओं ने प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों की मांग नहीं की है, यह [2019] 7 एस. सी. आर.

यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने "चोरी" की है। ऐसा हो सकता है कि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी-निगम को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी नहीं किया हो या हो सकता है कि उन्होंने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए कानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कदम न उठाए हों। यह संभवतः उचित कार्यवाहियों में उठाया जाने वाला मुद्दा हो सकता है ताकि दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने वाले साक्ष्य मूल्य के बारे में तर्क दिए जा सकें। लेकिन यह कहना दूर की बात होगी कि प्रत्यर्थियों ने बेईमानी से दस्तावेजों को हटा दिया है और चोरी का अपराध किया है और उन्हें दस्तावेजों की चोरी के लिए आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ रहा है। यह केवल उत्तरदाताओं को प्रासंगिक साक्ष्य के साथ अपने बचाव का पीछा करने से वंचित करने के लिए एक हाथ मोड़ने की रणनीति होगी और सामग्री। चूँकि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और समन जारी करने का आदेश अपने आप में टिकाऊ नहीं है, हम इस पहलू पर और अधिक गहराई तक जाने के लिए इच्छुक नहीं हैं और न ही संबंधित कार्यवाही में दस्तावेजों के साथ संलग्न किए जाने वाले साक्ष्य मूल्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। ऐसा न हो कि यह पक्षों के बीच लंबित कार्यवाही में हमारे विचारों को व्यक्त करने के बराबर होगा।

81. चाहे आपराधिक अभियोजन के खिलाफ

उत्तरदाताओं को जारी रखने की अनुमति दी जाएगीः - जैसा कि पहले चर्चा की गई है,

माना जा सकता है कि पक्षकार कई मुकदमों में उलझे हुए हैं। चोरी और गबन के आरोप दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 और दस्तावेज़ संख्या 1 से 54 से संबंधित हैं जो कंपनी याचिका में दायर किए जाते हैं और दीवानी मुकदमों में आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इस बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं कि उत्तरदाताओं ने कब, कहाँ और कैसे चोरी की है और न ही उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप हैं। शिकायत में आरोप, उनके अंकित मूल्य पर लिए जाने पर, प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा नहीं करते हैं और न ही घर की चोरी या गबन के अपराध के तत्व बनाए जाते हैं।

82. धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति का प्रयोग तीन परिस्थितियों की परिकल्पना करता है जिसमें अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है।

अर्थात्: - ((i) संहिता के तहत किसी आदेश को लागू करना; (ii) रोकने के लिए।

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग; और (iii) अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना। धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग हालांकि व्यापक रूप से संयम, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

83. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र एक हितकारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है और आपराधिक कार्यवाही को आई. आर. एल. ए. निगम v के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

एडवेंट्ज़ इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड। [आर. भानुमति, जे.]

सिमेंट। जब न्यायालय संतुष्ट होता है कि आपराधिक कार्यवाही

कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए या यह लाने के बराबर नहीं है

अभियुक्त पर, अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसे

ईडिंग्स को रद्द किया जा सकता है। श्रीमती में। नागावा बनाम। वीरन्ना

लिंगप्पा कोंजलगी और अन्य (1976) 3 एस. सी. सी. 736

टी ने पहले के निर्णयों की समीक्षा की और सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया

प्रक्रिया के मुद्दे को रद्द किया जा सकता है और निम्नानुसार माना जा सकता हैः

एक बार जब मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का प्रयोग कर लिया हो

" 5. ..... यह उच्च न्यायालय, या यहाँ तक कि इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह इसके स्थान पर ले

मजिस्ट्रेट के लिए या मामले की जांच करने के लिए अपना विवेकाधिकार

धारा 202 के तहत जांच के दायरे और दायरे के लिए दंड प्रक्रिया संहिता जो एक आदेश में समाप्त होती है

संहिता की धारा 204। इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि निम्नलिखित मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा उनके विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने का आदेश

अभियुक्त को खारिज या अलग किया जा सकता हैः

(1) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप या

उसी के समर्थन में दर्ज गवाहों के बयान उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं जो उनके खिलाफ बिल्कुल कोई मामला नहीं बनाते हैं। अभियुक्त या शिकायत आवश्यक का खुलासा नहीं करती है

अभियुक्त के खिलाफ आरोप लगाए गए अपराध की सामग्री; (2) जहाँ शिकायत में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं ताकि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति न हो।

कभी भी इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है;

(3) जहाँ मजिस्ट्रेट द्वारा जारी करने में विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है

प्रक्रिया मनमौजी और मनमाना है जो या तो आधारित है

बिना किसी साक्ष्य या ऐसी सामग्री पर जो पूरी तरह से अप्रासंगिक या अस्वीकार्य हो; और

(4) जहाँ शिकायत मौलिक कानूनी से ग्रस्त है

दोष, जैसे कि मंजूरी की कमी, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत का अभाव और इसी तरह।

हमारे द्वारा उल्लिखित मामले विशुद्ध रूप से उदाहरणात्मक हैं और प्रदान करते हैं आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश जहां उच्च न्यायालय

कार्यवाही रद्द कर सकते हैं। "[2019] 7 एस. सी. आर.

85. वर्तमान मामले में, यह कहना एक बात है कि दस्तावेजों को कानून के अनुसार सुरक्षित नहीं किया गया है और इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है। उनसे जुड़े। लेकिन केवल इसलिए कि दस्तावेज़ किसी न किसी स्रोत से प्रस्तुत किए गए हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं।

86. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में। वी. एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 736, उच्चतम न्यायालय ने यह देखने के बाद कि वृद्धि हो रही है। व्यापारिक हलकों में आपराधिक मामलों में शक्तिशाली नागरिक विवादों को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति निम्नानुसार हैः

" 14. जबकि वैध कारण या शिकायत वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक कानून में उपलब्ध उपचार की मांग करने से रोका नहीं जाना चाहिए, एक शिकायतकर्ता जो अभियोजन शुरू करता है या जारी रखता है, पूरी तरह से जानता है कि आपराधिक कार्यवाही अनुचित है और उसका उपचार केवल नागरिक कानून में निहित है, उसे स्वयं बनाया जाना चाहिए। उत्तरदायी, इस तरह की गलत धारणा वाली आपराधिक कार्यवाही के अंत में, कानून के अनुसार। एक सकारात्मक कदम जो अदालतों द्वारा निर्दोष पक्षों के अनावश्यक अभियोजन और उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए उठाया जा सकता है, वह है धारा 250 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का बार-बार प्रयोग करना, जहां वे द्वेष या तुच्छता को समझते हैं या

शिकायतकर्ता की ओर से गलत इरादे। जैसा भी हो '।

87. माधवराव जीवाजीराव सिंधिया और अन्य बनाम।

संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे और अन्य (1988) 1 एस. सी. सी. 692 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "जब प्रारंभिक चरण में अभियोजन पक्ष को बी. आई. आर. एल. ए. निगम v. होने के लिए कहा जाता है।

खारिज कर दिया गया, अदालत द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या अनियंत्रित आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित करते हैं अपराध "। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि "मामले पर विचार करते समय, न्यायालय को किसी विशेष विशेषता पर विचार करना है जो किसी विशेष मामले में दिखाई देती है जो यह दर्शाती है कि अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना न्याय के हित में समीचीन है या नहीं।"

88. एफ. आई. आर. या आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है यदि आरोप प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं या आरोप इतने असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। जहाँ तक, 54 तक दस्तावेजों को बनाए रखने का आरोप है, हमारे विचार में, इस बात का कोई आरोप नहीं है कि उत्तरदाताओं द्वारा मूल दस्तावेजों को कब और कैसे हटाया गया और कैसे रखा गया। जहां स्वीकृत तथ्यों पर अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई प्रथम-मामला मामला नहीं बनाया जाता है या जब सर्वोच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि आपराधिक कार्यवाही अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी न्यायिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति है।

भारत का संविधान। हमारे विचार में, वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है

आपराधिक शिकायत को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए दस्तावेज़ No.29 से 54 तक भी।

89. हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

. मजिस्ट्रेट दिनांक 1 के आदेश द्वारा, आई. पी. सी. की धारा 380,411 और 120 बी के तहत अपराध करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 से 16 के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। शिकायत में कोई अभिकथन नहीं है और न ही शिकायतकर्ता या गवाह पी. बी. दिनेश के बयान में कोई आरोप है कि चोरी कब और कैसे की गई थी और मजिस्ट्रेट के आदेश का संज्ञान लेते हुए 08.10.2010

उत्तरदाताओं के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1 से 16 क्यू. ए. दस्तावेज़

नंबर 1 से 54 को अलग रखा जा सकता है।

● यह माना जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 29 में परिभाषित "दस्तावेज़" आई. पी. सी. की धारा 22 के अर्थ के भीतर एक "चल संपत्ति" है जो चोरी का विषय हो सकता है। दस्तावेजों में निहित जानकारी भी "भौतिक संपत्ति" के दायरे में आएगी और चोरी का विषय हो सकती है। उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को उस हद तक संशोधित किया जाता है।

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायिक कार्यवाहियों में प्रत्यर्थियों द्वारा दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 और दस्तावेज़ No.29 से 54 अपने मामले को साबित करने के लिए हैं, अर्थात्, न्यायिक कार्यवाहियों के "उत्पीड़न और कुप्रबंधन"।

अपीलार्थी का प्रशासन-कंपनी और अन्य लंबित कार्यवाहियों में उनकी याचिका और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों में दस्तावेजों का ऐसा उपयोग चोरी नहीं होगी। कोई "बेईमान इरादा" या "गलत लाभ" नहीं हो सकता है।

उत्तरदाताओं को जिम्मेदार ठहराया जाए और कोई "गलत" नहीं है अपीलार्थी को नुकसान ताकि धाराओं की सामग्री को आकर्षित किया जा सके

378 और आई. पी. सी. 380।

वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पक्षों के बीच लंबित मुकदमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक 08.10.2010 का संज्ञान लेते हुए

अपराध और उत्तरदाता संख्या 1 को समन जारी करना

16 और उस पर आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के 15 क्यू. ए. दस्तावेज़ों No.29 से 54 तक के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) के खिलाफ अपील की जाती है। 2019 के D.Nos.6405 और 6122 की अनुमति है। एसएलपी (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील। No.9053

अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज़ संख्या 1 से 28 तक को प्राथमिकता दी जाती है

डी।

अपीलों का निपटारा
किया गया।